एससीटीसी सं. 857

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति (2022-2023)

(सत्रहवीं लोक सभा)

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय

(पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग)

से संबंधित

''अ.जा./ अ.ज.जाके कर्मचारियों की पेंशन और सेवानिवृत्ति लाभों को रोकने से संबंधित मामलों के विशेष संदर्भ में अत्याचार निवारण अधिनियम1989 के कार्यान्वयन के संबंध में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के विरुद्ध अत्याचार के मामलों का अध्ययन'' संबंधी नौवें प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों/ टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई संबंधी

इक्कीसवां प्रतिवेदन

20.12.2022 को लोक सभा में प्रस्तुत किया गया।

20.12.2022 को राज्य सभा पटल पर रखा गया।

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

20 दिसम्बर, 2022/ अग्रहायण 1944 (शक)

विषय-वस्तु

पृष्ठ

समिति की संरचना .....(iii)

प्राक्कथन.....(v)

अध्याय एक प्रतिवेदन.....

अध्याय दो टिप्पणियां/सिफारिशें, जिन्हें सरकार ने स्वीकार कर लिया है.....

अध्याय तीन टिप्पणियां/सिफारिशें, जिनके संबंध में समिति सरकार के उत्तरों को देखते हुए आगे कार्रवाई नहीं करना चाहती.....

अध्याय चार टिप्पणियां/सिफारिशें, जिनके संबंध में समिति ने सरकार के उत्तर स्वीकार नहीं किए हैं और जिन्हें दोहराए जाने की आवश्यकता है.....

अध्याय पांच टिप्पणियां/सिफारिशें, जिनके संबंध में सरकार के अंतिम उत्तर अभी प्राप्त नहीं हुए हैं .....

अनुबंध

I. दिनांक 15.12.22 को हुई समिति की बैठक का कार्यवाही सारांश ।

II. नौवें प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई का विश्लेषण।

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति (2022-23) की संरचना

डॉ. (प्रो.) किरिट प्रेमजीभाई सोलंकी - सभापति

सदस्य – लोक सभा

2. श्री गिरीश चन्द्र
3. श्री संतोख सिंह चौधरी
4. इंजीनियर गुमान सिंह दामोर
5. श्री अनिल फिरोजिया
6. श्री तापिर गाव
7. श्री रतन लाल कटारिया
8. कुमारी गोड्डेति माधवी
9. श्रीमती प्रतिमा मण्डल
10. श्री अशोक महादेवराव नेते
11. श्री विनसेंट एच. पाला
12. श्री छेदी पासवान
13. श्री प्रिंस राज
14. श्री ए. राजा
15. श्री उपेन्द्र सिंह रावत
16. श्रीमती संध्या राय
17. श्री जगन्नाथ सरकार
18. श्री अजय टम्टा
19. श्री रेबती त्रिपुरा
20. श्री कृपाल बालाजी तुमाने

सदस्य – राज्य सभा

21. श्री अबीर रंजन बिस्वास
22. श्री नीरज डांगी
23. श्रीमती कान्ता कर्दम
24. श्री समीर उरांव
25. श्री नबाम रेबीआ
26. श्री अंतियुर पी. सेल्वरासू
27. श्री राम शकल
28. डा. वी. शिवादासन
29. डा. सुमेर सिंह सोलंकी
30. श्री कामाख्या प्रसाद तासा

सचिवालय

1.	श्री डी. आर. शेखर	-	संयुक्त सचिव
2.	श्री पी. सी. चोल्डा	-	निदेशक
3.	श्री वी. के. शैलॉन	-	उप सचिव
4.	श्रीमती कुसुम लता	-	समिति अधिकारी

प्राक्कथन

मैं, अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति का सभापति, समिति की ओर से इस प्रतिवेदन को अंतिम रूप देने और प्रस्तुत करने के लिए प्राधिकृत किए जाने पर कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय (पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग) से संबंधित " अ.जा./ अ.ज.जाके कर्मचारियों की पेंशन और सेवानिवृत्ति लाभों को . मलों के विशेष संदर्भ में अत्याचार निवारण अधिनियमरोकने से संबंधित मा1989 के कार्यान्वयन के संबंध में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के विरुद्ध अत्याचार के मामलों का अध्ययन" संबंधी नौवें प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों/ टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई संबंधी इस इक्कीसवें प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) को प्रस्तुत करता हूं।

2. दिनांक 15.12.22को हुई बैठक में समिति द्वारा इस प्रारूप प्रतिवेदन को विचारोपरांत स्वीकार किया गया (परिशिष्ट दो)।

3. इस प्रतिवेदन को निम्नलिखित अध्यायों में बांटा गया है:-

एक प्रतिवेदन

दो टिप्पणियां/सिफारिशें, जिन्हें सरकार ने स्वीकार कर लिया है।

तीन टिप्पणियां/सिफारिशें, जिनके संबंध में समिति सरकार के उत्तरों को देखते हुए आगे कार्रवाई नहीं करना चाहती।

चार टिप्पणियां/सिफारिशें, जिनके संबंध में समिति ने सरकार के उत्तर स्वीकार नहीं किए हैं और जिन्हें दोहराए जाने की आवश्यकता है।

पांच टिप्पणियां/सिफारिशें, जिनके संबंध में सरकार के अंतिम उत्तर अभी प्राप्त नहीं हुए हैं ।

4. समिति के नौवे प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई का विश्लेषण परिशिष्ट-दो में दिया गया है।

नई दिल्ली;
20 दिसम्बर , **2022**

अग्रहायण, **1944(शक)**

डॉ. (प्रो.) किरिट प्रेमजीभाई सोलंकी
सभापति

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति

अध्याय – एक

प्रतिवेदन

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति का यह प्रतिवेदन **"अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के कार्यान्वयन के संबंध में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के विरुद्ध अत्याचार के मामलों का अध्ययन - अजा./अजजा. के कर्मचारियों की पेंशन और सेवानिवृत्ति लाभों को रोकने से संबंधित मामलों के विशेष संदर्भ में"** विषय पर समिति के नौवें प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई के बारे में है।

1.2. समिति के नौवें प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) को 13 दिसंबर, 2021 को लोकसभा में प्रस्तुत किया गया था और राज्यसभा के पटल पर रखा गया था। प्रतिवेदन में तीन टिप्पणियां/सिफारिशें अंतर्विष्ट थीं और तीसरी सिफारिश को नौ उप-शीर्षकों में विभाजित किया गया था। प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सभी टिप्पणियों/सिफारिशों के संबंध में की गई कार्रवाई उत्तर सरकार से प्राप्त हो गए हैं। उत्तरों की जांच की गई है और उन्हें निम्नानुसार वर्गीकृत किया गया है:

I. सिफारिशें/टिप्पणियां, जिन्हें सरकार ने स्वीकार कर लिया है (क्रम सं.. 2 और 3)

II. सिफारिशें/टिप्पणियां, जिनके संबंध में समिति सरकार के उत्तरों को देखते हुए आगे कार्यवाही नहीं करना चाहती (शून्य)

III. सिफारिशें/टिप्पणियां, जिनके संबंध में समिति ने सरकार के उत्तर स्वीकार नहीं किए हैं और जिन्हें दोहराए जाने की आवश्यकता है (क्रम सं..1)

IV. सिफारिशें/टिप्पणियां, जिनके संबंध में सरकार के अंतिम उत्तर प्राप्त नहीं हुये हैं (शून्य).

1.3 अब समिति उन टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई पर विचार करेगी जिन्हें दोहराये जाने अथवा जिन पर टिप्पणियां किए जाने की आवश्यकता है। समिति को विश्वास है कि सरकार द्वारा स्वीकार की गई सिफारिशों के कार्यान्वयन को अत्यधिक महत्व दिया जाएगा। यदि किसी मामले में किसी कारण से सिफारिशों को अक्षरश: कार्यान्वित करना संभव नहीं है, तो मामले को कार्यान्वित न किए जाने के कारणों सहित उन्हें समिति को सूचित किया जाए। समिति यह चाहती है कि इस प्रतिवेदन के अध्याय-एक में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर की गई कार्रवाई संबंधी टिप्पण और इस प्रतिवेदन के अध्याय-पाँच में अंतर्विष्ट सिफारिशों के संबंध में की गई अंतिम कार्रवाई संबंधी टिप्पण उसे तत्काल और किसी भी मामले मे प्रतिवेदन प्रस्तुत किए जाने के छह महीने के भीतर भेज दिए जाएं।

सिफ़ारिश क्रम सं.1

1.4 समिति अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद, नई दिल्ली द्वारा समिति को दिए गए अपने अभ्यावेदन में लगाए गए आरोपों को बहुत गंभीरता से लेती है। एक कर्मचारी जो किसी संगठन के लिए अपने जीवन के अधिकांश समय तक काम करता है, उसे एक ऐसे कारण के लिए पेंशन के अपने अधिकारों से वंचित कर दिया जाता है, जोकि उसकी गलती भी नहीं है। समिति का मानना है कि जब कोई व्यक्ति किसी संगठन में कार्यरत होता है, तो यह उस संगठन का कर्तव्य है कि सेवा में शामिल करते समय उस व्यक्ति के सभी दस्तावेजों का सत्यापन करे। इसमें उसके जाति प्रमाण पत्र का सत्यापन भी शामिल है जिसके आधार पर उसने रोजगार प्राप्त किया है। यदि संगठन किसी व्यक्ति के सेवा में शामिल होते समय तुरंत सत्यापन प्रक्रिया करता है, तो कोई भी व्यक्ति झूठे जाति प्रमाण पत्र के आधार पर रोजगार प्राप्त नहीं कर सकता है। समिति ने पाया है कि वर्तमान में जाति प्रमाण पत्र का सत्यापन कर्मचारी के कैरियर के अंत में शुरू किया जाता है। इन व्यक्तियों के पेंशन लाभों को रोकना कर्मचारी का मानसिक, वित्तीय और साथ ही शारीरिक प्रकार का घोर उत्पीड़न है क्योंकि सेवानिवृत्ति के करीब एक व्यक्ति लगभग एक वरिष्ठ नागरिक हो जाता है जिस पर कई स्वास्थ्य और पारिवारिक जिम्मेदारियां होती है। समिति का मानना है कि सेवा में शामिल होते समय कर्मचारी के जाति प्रमाण पत्र का सत्यापन नहीं कराने और उसे वर्षों तक लंबित रखने के लिए कर्मचारी के संगठन को जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए। इस चूक के लिए जिम्मेदारी संगठन की है ना कि कर्मचारी की और इसलिए कर्मचारी की किसी गलती के बिना उसकी पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभों को किसी भी तरह से रोका नहीं जाना चाहिए। समिति दृढ़ता से यह महसूस करती है कि यह अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों को परेशान करने के लिए संबंधित संगठनों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा नियोजित कार्यप्रणाली है।

इसलिए, समिति दृढ़ता से सिफारिश करती है कि कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग को दिशानिर्देश जारी करने चाहिए जिससे किसी कर्मचारी के सेवा में शामिल होने के छह महीने के भीतर जाति प्रमाण-पत्र को सत्यापित किया जाए अन्यथा उसके प्रमाण-पत्र को प्रामाणिक, जब तक कि उसके स्थायीकरण से पूर्व अन्यथा साबित न हो, माना जाएगा। समिति सिफारिश करती है कि राज्य सरकार के साथ समन्वय स्थापित करते हुए डीओपीटी को जाति प्रमाण पत्र के सत्यापन को एक समयबद्ध प्रक्रिया बनाना चाहिए ताकि इसका उपयोग किसी भी संगठन/विभाग/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/स्वायत्त निकायों आदि द्वारा सेवानिवृत्ति के समय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के भोले-भाले कर्मचारियों को परेशान करने के लिए एक उपकरण के रूप में ना किया जा सके।

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय (पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग) को सभी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/संगठनों/सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों आदि को स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी करने चाहिए कि

किसी व्यक्ति के सेवा में शामिल होने के छह महीने के भीतर उस व्यक्ति के जाति प्रमाण पत्र का सत्यापन किया जाए। राज्य स्तरीय संवीक्षा समिति जिसने प्रमाण पत्र जारी किया है, को कम से कम छह महीने के भीतर या कर्मचारियों के स्थायीकरण से पूर्व, जो भी बाद में हो, किसी भी कीमत पर प्रमाण-पत्र की प्रमाणिकता की पुष्टि करने के लिए कहा जाए। यदि किसी भी कारणवश राज्य स्तरीय संवीक्षा समिति ऐसा करने में सक्षम ना हो तो उन्हें लिखित में कारण बताते हुए समय अवधि विस्तार लेना चाहिए, जो किसी भी परिस्थिति में छः माह से ज्यादा का नहीं होगा।

<u>सरकार का उत्तर</u>

1.5 भारत सरकार (कार्य आबंटन) नियमों के अनुसार, केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के सेवानिवृत्ति लाभों से संबंधित मामलों की नीति तैयार करना और समन्वय करना और केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972, केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन सारांशीकरण) नियम, 1981, केन्द्रीय सिविल सेवा (असाधारण पेंशन) नियम, 1939; अखिल भारतीय सेवा (मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति लाभ) नियम, 1958, और केंद्र सरकार के पेंशनभोगियों से संबंधित किसी भी अन्य योजना की व्यवस्था पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग (डीओपी एंड पीडब्ल्यू) को सौंपी गई है। अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी संसदीय समिति की दिनांक 18.12.2020 को आयोजित बैठक के दौरान सेवानिवृत्त अनुसूचित जनजाति कर्मचारियों के पेंशन लाभ जारी करने के निर्देशों के अनुसरण में, डीओपीटी ने अपने दिनांक 12.1.2021 के का.ज्ञा. (प्रति **अनुबंध एक** में है) के माध्यम से डीओपी एंड पीडब्ल्यू से इस मामले में आवश्यक कार्रवाई करने का अनुरोध किया था। इसके अतिरिक्त, इन सिफारिशों की एक प्रति आवश्यक कार्रवाई के लिए उस विभाग को पुनः अग्रेषित कर दी गई है (प्रति **अनुबंध दो में है**)

जहां तक किसी उम्मीदवार की जाति के सत्यापन का संबंध है, यह बताया गया है कि जाति प्रमाण पत्र जारी करने और उसके सत्यापन की जिम्मेदारी संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार की है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने *कुमारी माधुरी पाटिल बनाम अपर आयुक्त* के मामले में दिनांक 2-9-1994 के अपने आदेश के माध्यम से राज्य सरकार द्वारा कर्मचारियों के जाति प्रमाण पत्रों के प्रभावी सत्यापन के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश निर्धारित किए हैं।

डीओपीटी ने समय-समय पर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों और केन्द्र सरकार के मंत्रालयों/विभागों को जाति प्रमाण पत्र के यथासमय सत्यापन के लिए विभिन्न अनुदेश जारी किए हैं। डीओपीटी के दिनांक 31.10.1975 के निर्देशों में प्रावधान है कि जहां अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से संबंधित कोई उम्मीदवार किसी भी निर्धारित प्राधिकारी से प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने में असमर्थ है, तो वह अपने दावे के

समर्थन में जो भी प्रथम दृष्टया प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने में सक्षम है उस आधार पर उसे अस्थायी रूप से नियुक्त किया जा सकता है, बशर्ते कि वह उचित समय के भीतर निर्धारित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करे और यदि उसे प्रमाण पत्र प्राप्त करने में सच में कठिनाई आ रही हो तो नियुक्ति प्राधिकारी को संबंधित जिला मजिस्ट्रेट के माध्यम से उसके दावों को स्वयं सत्यापित करना चाहिए। डीओपीटी ने दिनांक 20-03-2007 के पत्र के माध्यम से राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों से अनुरोध किया है कि वे जिला मजिस्ट्रेटों/जिला कलेक्टरों/जिला उप आयुक्तों को इस आशय के निर्देश जारी करें कि वे अपने स्तर पर यह सुनिश्चित करें कि जिला प्राधिकारियों को निर्दिष्ट जाति/समुदाय प्रमाण पत्र की सत्यता का सत्यापन किया जाए और ऐसे प्राधिकारी से अनुरोध प्राप्त होने के **एक महीने के भीतर** नियुक्ति प्राधिकारी को सूचित किया जाए। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों से यह भी अनुरोध किया गया था कि वे उन अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू करें जो जातिगत स्थिति के यथासमय सत्यापन में चूक करते हैं। 18.12.2020 को अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी संसदीय समिति की बैठक के दौरान दिए गए निर्देशों के अनुसरण में, डीओपीटी ने 19.3.2021 को केंद्र सरकार के सभी विभागों/मंत्रालयों को पृष्ठांकित करते हुए सभी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को फिर से एक पत्र जारी किया है, जिसमें कर्मचारियों के जाति प्रमाण पत्र के यथासमय सत्यापन के अनुदेशों को दोहराया गया है (प्रति **अनुबंध तीन** में है)।

समिति की टिप्पणी

1.6 समिति ने नोट करती है कि डीओपीटी ने अपने उत्तर में कहा है कि जाति प्रमाण पत्र जारी करने और उसके सत्यापन की जिम्मेदारी संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार की है। हालांकि, समिति यह महसूस करती है कि केवल कर्मचारियों के जाति प्रमाण पत्र के समय पर सत्यापन के अनुदेशों को दोहराना पर्याप्त नहीं है। 1995 से पहले नियुक्त कर्मचारियों की पेंशन उनके जाति प्रमाण पत्र सत्यापित नहीं होने या जाति प्रमाण पत्र के सत्यापन में देरी होने पर भी नहीं रोकी जानी चाहिए। प्रत्येक विलंबित मामले में जिम्मेदारी निर्धारित की जाए और इसे अपराध माना जाए। समिति का मुख्य फोकस सेवा में शामिल होने के छह महीने के भीतर एक कर्मचारी के जाति प्रमाण पत्र के सत्यापन के लिए दिशानिर्देश जारी करने की आवश्यकता के बारे में था, वांछित परिणाम प्राप्त करने के लिए अभी तक इस बारे में ध्यान नहीं दिया गया है। समिति का विचार है कि डीओपीटी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के सभी मुख्य सचिवों को सेवा में शामिल होने की तारीख से छह महीने के भीतर कर्मचारियों के सभी जाति प्रमाणपत्रों को सत्यापित करने

के लिए दिशा-निर्देश/परामर्शिका जारी करे और जहां सेवानिवृत्त कर्मचारी को जाति प्रमाण पत्र का सत्यापन होने के नाम पर पेंशन से वंचित किया जा रहा है उसे बर्दाश्त नहीं किया जाए।

<u>सिफ़ारिश क्रम सं.2</u>

1.7 कई बार यह देखा गया है कि पुराने रिकार्ड उपलब्ध न होने के कारण सत्यापन प्रक्रिया में लंबा समय लगता है। यह विशेष रूप से उन मामलों में होता है जब व्यक्ति की नियुक्ति होने के 30-35 वर्षों के पश्चात सत्यापन किया जा रहा हो, जो रिकॉर्ड बहुत पुराने हैं, उनकी उपलब्धता काफी मुश्किल होती है। कार्यालयों में अधिकांश कर्मचारी तब तक सेवानिवृत्त या स्थानांतरित हो चुके होते हैं और वे अपने पूर्ववर्तियों द्वारा बहुत पहले जारी किए गए प्रमाण पत्र की प्रामाणिकता की पुष्टि करने में असमर्थ होते हैं। इस सन्दर्भ में समिति डीओपीटी के निम्नलिखित कार्यालय ज्ञापनों को उद्धृत करना चाहेगी

- दिनांक 25.05.2005 के डीओपी एंड टी का.ज्ञा. संख्या 230/08/2005-एवीडी-II और दिनांक 09.09.2005 के डीओपी एंड टी का.ज्ञा. संख्या 36011/3/2005-स्था.(आरक्षण) इसकी प्रति अनुबंध क में दी गई है।
- "बेनामी/छद्म नाम से शिकायत पर कार्रवाई पर दिनांक 07-03-2016 के सीवीसी का परिपत्र संख्या 98/डीएसपी/9(भाग-2) -प्रति अनुबंध ख में दी गई है।

उपर्युक्त का. ज्ञा. और सीवीसी परिपत्र में स्पष्ट रूप से यह निर्धारित किया गया है कि अनुसूचित जनजाति जाति प्रमाण पत्र वाले केवल उन्हीं कर्मचारियों का सत्यापन किया जाना चाहिए जिन्हें वर्ष 1995 के बाद सीपीएसयू सहित विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के तहत या प्रारंभिक नियुक्ति/पदोन्नति पर नियुक्त किया गया था। इसके अतिरिक्त, सीवीसी के दिशा-निर्देशों के अनुसार, बेनामी/छद्म नाम से की गई शिकायतों पर कोई कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए। समिति प्राप्त हुई शिकायतों/अभ्यावेदनों की संख्या को ध्यान में रखते हुए यह अपेक्षा करती है कि इस संबंध में नोडल एजेंसी होने के नाते कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग सभी मंत्रालयों/विभागों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को पुन: अपना परिपत्र परिचालित कर सकती है कि वर्ष 1995 से पूर्व नियुक्त किए गए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों के पेंशन लाभों और परिलब्धियों को उनके जाति प्रमाण-पत्रों का सत्यापन नहीं किए जाने की स्थिति में रोका नहीं जाना चाहिए। इसके अलावा, जिन कर्मचारियों को वर्ष 1995 के बाद नियुक्त किया गया है, उनकी सत्यापन की प्रक्रिया समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत करने की तारीख से तीन माह के भीतर पूरी की जानी

चाहिए। समिति दोहराती है कि किसी भी परिस्थिति में, किसी भी संगठन/विभाग/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम द्वारा पेंशन को रोका नहीं जाना चाहिए।

सरकार का उत्तर

1.8 जैसा कि उपर्युक्त बिंदु 1 में दिए गए उत्तर में उल्लेख किया गया है, डीओपीटी के नीति अनुदेशों में जाति प्रमाण पत्र के समय पर सत्यापन किए जाने का प्रावधान है। वस्तुत:, डीओपीटी ने दिनांक 20-03-2007 के पत्र सं 36022/1/2007-स्था.(आरक्षण) के माध्यम से राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों से अनुरोध किया है कि वे जिलों के जिला मजिस्ट्रेटों/जिला कलेक्टरों/उपायुक्तों को इस आशय के अनुदेश जारी करें कि वे अपने स्तर पर यह सुनिश्चित करें कि जिला प्राधिकारियों को भेजे गए जाति/समुदाय प्रमाण पत्र की सत्यता सत्यापित की गई है और ऐसे प्राधिकारी से अनुरोध प्राप्त होने के एक माह के भीतर नियुक्ति प्राधिकारी को सूचना दी गई है। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों से उन अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू करने का भी अनुरोध किया गया था जो समय पर जातिगत स्थिति के सत्यापन में चूक करते हैं। इन अनुदेशों को दिनांक 19.03.2021 के का.ज्ञा. के माध्यम से पुन: दोहराया गया है। **(अनुबंध तीन)**

जहां तक अनुसूचित जनजाति श्रेणी के कर्मचारियों, जिन्हें वर्ष 1995 के बाद नियुक्त किया गया था, के जाति प्रमाण पत्र के सत्यापन के संबंध में दिनांक 25-05-2005 के का.ज्ञा. संख्या 230/08/2005-एवीडी.II का संबंध है, यह उल्लेखनीय है कि कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा यह का. ज्ञा. दिनांक 12.01.2005 के सीडब्ल्यूपी संख्या 5976/2003 में माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसरण में जारी किया गया था, जिसमें माननीय न्यायालय ने उन कर्मचारियों के अनुसूचित जनजाति प्रमाण-पत्र सत्यापित करने का निदेश दिया था जिन्होंने वर्ष 1995 से 2000 के बीच रोजगार प्राप्त किया था तथा तत्पश्चात विधि के अनुसार उचित कार्रवाई करने का निदेश दिया। इसके अनुसरण में डीओपीटी ने दिनांक 25-05-2005 के का.ज्ञा. के माध्यम से अनुसूचित जनजाति प्रमाण-पत्र के आधार पर रोजगार प्राप्त करने वाले कर्मचारियों की जाति का सत्यापन करने के लिए अतिरिक्त निदेशक, सीबीआई की अध्यक्षता में एक समन्वय तंत्र की स्थापना की थी। इस प्रकार, दिनांक 25-05-2005 का का.ज्ञा. केवल माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के विशिष्ट निदेशों का अनुपालन करने के लिए जारी किया गया था और इसने कर्मचारियों के जाति प्रमाण पत्र के सत्यापन के संबंध में कोई नीति नहीं बनाई थी। इस संबंध में नीति में प्रावधान है कि जातिगत स्थिति का समय पर और प्रभावी सत्यापन आवश्यक है ताकि आरक्षण और रियायतों की अन्य योजनाओं आदि का लाभ केवल सही दावेदारों को ही मिले। इसमें यह भी प्रावधान है कि प्रारंभिक नियुक्ति

के बाद किसी व्यक्ति की जाति/समुदाय को अनुसूची से हटाया जा सकता है और इसलिए, कर्मचारी के करियर के हर महत्वपूर्ण उत्थान पर जाति की स्थिति का सत्यापन भी आवश्यक है।

दिनांक 09-09-2005 के का.ज्ञा.सं. 36011/3/2005-स्था.(आरक्षण), (जैसा कि संदर्भित है) में डीओपीटी के निदेशों को दोहराते हुए कि कर्मचारी के करियर के हर महत्वपूर्ण उत्थान पर जातिगत स्थिति का सत्यापन आवश्यक है, में डीओपीटी के पूर्ववर्ती निदेशों को भी दोहराया गया है कि नियुक्ति अधिकारियों को अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के नियुक्ति पत्र में एक शर्त शामिल करनी चाहिए कि उनकी नियुक्ति उनके जाति/समुदाय के सत्यापन के अधीन अनंतिम है और यदि सत्यापन से पता चलता है कि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से संबंधित उनका दावा गलत है, तो उनकी सेवाओं को बिना कोई और कारण बताए तत्काल समाप्त कर दिया जाएगा और उन पर झूठे प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के लिए भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जा सकती है। इस प्रकार दिनांक 09.09.2005 का का.ज्ञा. कर्मचारियों के जाति प्रमाण-पत्रों के सत्यापन के संबंध में डीओपीटी के अनुदेशों की पुनरावृत्ति के अलावा और कुछ नहीं है। जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है इन निदेशों को दिनांक 19.03.2021 के पत्र के माध्यम से दोहराया गया है, तथापि, जहां तक पेंशन संबंधी मामलों का संबंध है। पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग नोडल विभाग है और इन सिफारिशों की एक प्रति पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग (प्रति **अनुबंध दो पर**) को अग्रेषित कर दी गई है।

समिति की टिप्पणियाँ

1.9 समिति नोट करती है कि डीओपीटी ने अपने उत्तर में बताया है कि दिनांक 9.9.2005 का कार्यालय ज्ञापन और कुछ नहीं बल्कि कर्मचारियों के जाति प्रमाणपत्रों के सत्यापन के संबंध में डीओपीटी के अनुदेशों और दिल्ली उच्च न्यायालय के दिनांक 12.01.2005 के आदेश का दोहराव है। समिति की यह राय थी कि अधिवर्षिता पर सेवानिवृत्त हुए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों के पेंशन लाभ और परिलब्धियां परेशानी/उत्पीड़न की विषय-वस्तु नहीं होनी चाहिए। समिति का स्पष्ट विचार है कि प्रारंभिक नियुक्ति पर नियुक्ति के छह महीने के भीतर समुचित और गहन सत्यापन/जांच की जाए। इसे अधिवर्षिता तक विलंबित नहीं किया जाए जब तक कि जाति प्रमाण पत्र सत्यापित करने के लिए प्रथम दृष्टया अकाट्य कारण न हो और किसी भी मामले में पेंशन संबंधी और अन्य लाभों को रोका नहीं जाना चाहिए। इस प्रयोजन हेतु सभी राज्यों और संघ राज्य को फिर से समुचित दिशा-निर्देश दिए जाएं।

सिफ़ारिश क्रम सं. 3

1.10 जाति प्रमाण पत्रों के लिए सत्यापन प्रक्रिया आमतौर पर किसी व्यक्ति के खिलाफ शिकायतें प्राप्त करने पर शुरू की जाती है। जब तक प्रथमदृष्टया इस प्रकार प्राप्त हुई शिकायत यथार्थ प्रमाणिक नहीं दिखाई देती, तब तक समिति का मानना है कि इस पर विचार नहीं किया जाना चाहिए। छद्म नाम/अनाम शिकायतों पर बिल्कुल भी विचार नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि यह दुर्भावनापूर्ण इरादों के कारण हो सकता है। इसलिए समिति सिफारिश करती है कि सत्यापन की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित किया जाना चाहिए ताकि यह निर्दोष लोगों को परेशान करने का एक उपकरण न बन सके। सितंबर, 2020, दिसंबर, 2020 और मार्च, 2021 में बैठक के लिए बुलाए गए गवाहों के विचार-विमर्श के अवलोकन के दौरान समिति ने पाया कि जाति प्रमाण पत्रों के सत्यापन के अधिकांश मामलों को राज्य स्तरीय संवीक्षा समितियों को भेजा जाता है, जो सत्यापन प्रक्रिया को पूरा करने के लिए केंद्रीय संगठन हैं। यह देखा गया है कि राज्य स्तरीय संवीक्षा समितियां आमतौर पर उन मामलों की कार्यवाही में असावधानीवश विलंब का कारण बनती हैं, जिसके कारण सेवानिवृत्त कर्मचारियों को अत्यधिक मानसिक उत्पीड़न और वित्तीय कठिनाइयां होती हैं। इसलिए समिति पुरजोर रूप से यह सिफारिश करती है कि राज्य स्तरीय संवीक्षा समितियों के कार्यकरण को सुव्यवस्थित किया जाए। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय (पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग) को स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी करने चाहिए, जिनका पालन सभी राज्य सरकारों/राज्य स्तरीय संवीक्षा समितियों द्वारा किया जाना चाहिए। सत्यापन प्रक्रिया को छह महीने के भीतर पूरा किया जाना चाहिए और जाति प्रमाण पत्र के सत्यापन की प्रक्रिया के दौरान किसी भी अत्यधिक विलंब के लिए जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए।

चूंकि, लगभग सभी संगठनों में ऐसे मामलों में लगातार वृद्धि हो रही है तथा कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के इस संबंध में नोडल एजेंसी होने के कारण समिति सिफारिश करती है कि निम्नलिखित बिंदुओं को शामिल करते हुए स्पष्ट दिशानिर्देश जारी किए जाने चाहिए: -

(i) जाति प्रमाण पत्र का प्रारंभिक सत्यापन, साक्षात्कार और कार्यभार ग्रहण करने के समय अनिवार्य रूप से पूरा किया जाना चाहिए।

(ii) इसे उम्मीदवार के कार्यभार ग्रहण करने के छह महीने के भीतर संबंधित विभाग/मंत्रालय/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/बैंकों/स्वायत्त निकाय द्वारा पूरा किया जाना चाहिए।

(iii) समिति का दृढ़ मत यह है कि किसी भी कीमत पर जाति प्रमाण पत्र के सत्यापन को कम से कम कर्मचारियों की परिवीक्षा अवधि अर्थात कार्यभार ग्रहण करने के 02 वर्ष पूरे होने से पहले प्रमाणित किया जाना चाहिए। यदि जाति प्रमाण पत्र का सत्यापन, साक्षात्कार, कार्यभार ग्रहण करने

के समय या कम से कम परिवीक्षा अवधि से पहले या उससे पहले पूरा नहीं किया जाता है तो संबंधित कर्मचारियों द्वारा किए गए अनुचित विलंब के लिए जिम्मेदार व्यक्ति परजवाबदेही तय की जानी चाहिए।

(iv) परिसीमा अधिनियम के अनुसार, जाति प्रमाण-पत्र के सत्यापन की सीमा अनिवार्य रूप से दी जानी चाहिए, अन्यथा जाति प्रमाण-पत्र के उद्देश्य असफल हो जाएगा और इस बात की पूरी आशंका है कि जाति प्रमाण पत्र के सत्यापन की शक्ति का संबंधित अधिकारी/कर्मचारियों द्वारा अत्यधिक दुरूपयोग किया जाएगा जैसा कि वर्तमान में राज्य में बहुत से प्राधिकारियों द्वारा जाति प्रमाण-पत्र के सत्यापन में अत्यधिक विलंब करके किया जा रहा है।

(v) परिसीमा अधिनियम को प्रत्येक राज्य में राज्य जाति संवीक्षा समिति पर भी लागू किया जाना चाहिए ताकि उन्हें जाति प्रमाण पत्र को सत्यापित करने के लिए असीमित समयावधि लेने और अथक तनाव या भय में रहने और सेवानिवृत्ति के बाद होने वाली दर्दनाक घटनाओं का अनुभव करने का कारण बनने के लिए रोका जा सके।

(vi) समिति का मानना है कि यह एक विडम्बना है कि लगभग सभी मंत्रालयों, विभागों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, बैंकों और स्वायत्तशासी निकायों, में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को कार्यभार ग्रहण करने, पदोन्नति, परिवीक्षा सेवानिवृत्ति से पहले और पश्चात् के दौरान जाति प्रमाण पत्र के सत्यापन की समान समस्या का सामना करना पड़ रहा है और अभी भी कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय और जनजातीय कार्य विभाग एनसीएससी तथा एनसीएसटी द्वारा उनकी आजीविका और जीवन के अपने महत्वपूर्ण मुद्दे को हल करने के लिए कुछ भी ठोस नहीं किया गया है। समिति इस महत्वपूर्ण मामले पर अपनी आंखें और कान बंद रखने के लिए संबंधित मंत्रालयों/विभागों आदि के कार्यकरण पर अपनी गहरी संवेदना और असंतोष व्यक्त करती है। इसलिए, समिति पुरजोर रूप से सिफारिश करती है कि कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग जब तक सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, जनजातीय कार्य मंत्रालय और राज्य सरकार के परामर्श से इस आशय के औपचारिक दिशा-निर्देश जारी नहीं करे तब तक सभी मंत्रालयों/विभागों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/बैंकों और अन्य स्वायत्तशासी निकायों को अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी संसदीय समिति से प्राप्त उपर्युक्त दिशानिर्देशों को ध्यान में रखते हुए तेजी से कार्य करने के लिए संवेदनशील बनाए।

(vii) समिति ने पूर्व पैराग्राफों और टिप्पणियों को ध्यान में रखते हुए दृढ़ता से सिफारिश की है कि सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय को डीओपीटी, विधि और न्याय मंत्रालय (विधायी विभाग)

और राज्य सरकार के परामर्श से संसदीय समिति द्वारा की गई टिप्पणी को ध्यान में रखते हुए एक उपयुक्त विधान का मसौदा तैयार करना चाहिए और मंत्रिमंडल के अनुमोदन के बाद इसे पारित कराने के लिए संसद के अगले बजट सत्र 2022 में इसे पेश करना चाहिए। समिति का दृढ़ मत है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समुदाय के हितों की रक्षा के लिए उपयुक्त उपबंध को शामिल करके झूठे जाति प्रमाण पत्र निवारण विधेयक को पारित किए जाने के बाद, जाति प्रमाण पत्र सत्यापित करने के लिए केंद्र और राज्य स्तर पर जाति प्रमाण पत्र के सत्यापन में अत्यधिक विलंब और गलती करने वाले अधिकारी/कर्मचारियों की जवाबदेही तय करने संबंधी अधिकांश मुद्दों का समाधान स्वत: ही हो जाएगा।

(viii) पेंशन जारी करने के लिए पेंशन दिशानिर्देश उन लोगों के लिए भी जारी किए जा सकते हैं जिनके जाति प्रमाणों को सेवानिवृत्ति के समय तक सत्यापित नहीं किया गया है। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के जिन व्यक्तियों के माता-पिता, दादा-दादी पहले ही सक्षम प्राधिकारी से जाति प्रमाण पत्र प्राप्त कर चुके हैं, उन्हें अपने बच्चों को स्कूल में प्रवेश लेने और नौकरी और अन्य लाभ प्राप्त करने की सुविधा प्रदान करने के लिए जाति प्रमाण पत्र प्राप्त करने की अनुमति देनी चाहिए, जब तक कि राज्य सरकार के राजस्व विभाग द्वारा घोषित झूठे प्रमाण पत्र का प्रथम दृष्टया मामला न हो। 1995 से पहले बनाए गए अनुसूचित जनजाति जाति प्रमाण पत्रों का सत्यापन नहीं करने के लिए उच्चतम न्यायालय के फैसले का अक्षरश: पालन किया जाना चाहिए।

(ix) सेवानिवृत्ति के निकट आने वाले या सेवानिवृत्त लोगों के लिए, यदि किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा एक प्रमाण पत्र जारी किया गया है जिसे रिकॉर्ड की अनुपस्थिति या किसी अन्य कारणों से उसकी सेवानिवृत्ति तक सत्यापित नहीं किया गया है, तो सेवानिवृत्ति के अंत में जाति प्रमाण पत्र के सत्यापन से सेवानिवृत्त व्यक्ति का मानसिक, शारीरिक और वित्तीय उत्पीड़न होगा। इसके अतिरिक्त, उस स्तर पर, सरकार द्वारा 30-40 वर्ष की सेवा अवधि के दौरान उन्हें प्रदान किए गए वेतन भत्तों, एलटीसी और चिकित्सा सुविधाओं आदि को प्राप्त करना संभव नहीं है। ऐसे में, समिति का मानना है कि अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति पर यह एक गंभीर अन्याय और अत्याचार है कि एक संगठन के लिए अपने पूरे युवा जीवन के प्रमुख हिस्से में काम करने के बाद उनके जाति प्रमाण पत्र के सत्यापन और सेवानिवृत्ति लाभों से इनकार करने पर जोर दें। ऐसे मामलों में अंतिम उपाय कर्मचारी के लिए अदालत का रुख करना है जो एक थकाऊ लंबी अवधि की प्रक्रिया भी है। इसलिए समिति सिफारिश करती है कि डीओपीटी को इन मुद्दों को हल करने और इन सेवानिवृत्त होने वाले/सेवानिवृत्त कर्मचारियों के हितों की रक्षा करने के लिए राज्य सरकार, विधि और न्याय मंत्रालय के परामर्श से उपयुक्त दिशानिर्देश तैयार करने चाहिए।

सरकार का उत्तर

1.11 यह दोहराया जाता है कि कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के अनुदेशों में जाति/समुदाय प्रमाण पत्र के समय पर सत्यापन का प्रावधान है। जैसा कि पहले ही ऊपर उल्लेख किया गया है, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों और केंद्र सरकार के मंत्रालयों/विभागों को समय-समय पर अनुदेश जारी किए गए हैं कि जहां अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से संबंधित कोई उम्मीदवार किसी भी निर्धारित प्राधिकारी वाला प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने में असमर्थ है, तो उसे अपने दावे के समर्थन में प्रथमदृष्टया प्रस्तुत किए जाने वाले किसी प्रमाण पत्र के आधार पर अनंतिम रूप से नियुक्त किया जा सकता है, बशर्ते कि वह एक उचित समय के भीतर निर्धारित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करे और यदि उसे प्रमाण पत्र प्राप्त करने में वास्तविक कठिनाई होती है, तो नियुक्ति प्राधिकारी को संबंधित जिला मजिस्ट्रेट के माध्यम से उसके दावों को स्वयं सत्यापित करना चाहिए। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने दिनांक 20-03-2007 के पत्र के माध्यम से राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों से यह अनुरोध किया है कि वे जिलों के जिला मजिस्ट्रेटों/जिला कलेक्टरों/उपायुक्तों को इस आशय के अनुदेश जारी करें कि वे अपने स्तर पर यह सुनिश्चित करें कि जिला प्राधिकारियों को संदर्भित जाति/समुदाय प्रमाण पत्र की सत्यता का सत्यापन किया गया है और ऐसे प्राधिकारी से अनुरोध की प्राप्ति के **एक महीने के भीतर** नियुक्ति प्राधिकारी को सूचित किया जाए। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों से यह भी अनुरोध किया गया था कि वे जाति स्थिति के समय पर सत्यापन में चूक करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू करें।

1.12 यह दोहराया जाता है कि जाति प्रमाण पत्र जारी करने और उनके सत्यापन की जिम्मेदारी संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार की है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने *कुमारी माधुरी पाटिल बनाम अपर आयुक्त* के मामले में दिनांक 2-9-1994 के अपने आदेश के माध्यम से राज्य सरकारों द्वारा जाति प्रमाण पत्रों के प्रभावी सत्यापन के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश निर्धारित किए हैं। जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने पहले ही राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से अनुरोध किया है कि वे जिलों के जिला मजिस्ट्रेटों/जिला कलेक्टरों/जिलों के उपायुक्तों को इस आशय के अनुदेश जारी करें कि वे अपने स्तर पर यह सुनिश्चित करें कि जिला प्राधिकारियों को संदर्भित जाति/समुदाय प्रमाण पत्र की सत्यता का सत्यापन किया जाए और ऐसे प्राधिकारी से अनुरोध की प्राप्ति के **एक महीने के भीतर** नियुक्ति प्राधिकारी को सूचित किया जाए। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों से यह भी अनुरोध किया गया था कि वे जाति स्थिति के समय पर सत्यापन में चूक करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू करें।

1.13 डीओपीटी ने समय-समय पर भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों को समय पर जाति/समुदाय संबंधी प्रमाण पत्र के सत्यापन के संबंध में नीतिगत अनुदेश जारी किए हैं। हालांकि, अनुसूचित जातियों तथा

अनुसूचित जनजाति के कल्याण संबंधी संसदीय समिति द्वारा 18.12.2020 को अपनी बैठकों के दौरान दिए गए निर्देशों के अनुसरण में, डीओपीटी ने सार्वजनिक उद्यम विभाग, वित्तीय सेवाएं विभाग और रेल मंत्रालय सहित केंद्र सरकार के सभी विभागों/मंत्रालयों को पृष्ठांकित करते हुए 19.3.2021 को सभी राज्य / संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को फिर से एक पत्र जारी किया है, केन्द्र सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध किया गया है कि वे समय पर जाति/समुदाय प्रमाण पत्र के सत्यापन के संबंध में मौजूदा अनुदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करें।

1.14 चूंकि, समिति ने सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय से सत्यापन की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के लिए एक उपयुक्त विधान का मसौदा तैयार करने का अनुरोध किया है, इसलिए इसकी एक प्रति सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय को अग्रेषित कर दी गई है (प्रति अनुबंध चार के रूप में संलग्न है)।

1.15 पेंशन मामलों के संबंध में पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग नोडल विभाग है और इसलिए इसकी एक प्रति डीओपीएंडपीडब्ल्यू (**अनुबंध एक**) को भेज दी गई है। जहां तक जाति प्रमाण पत्र के सत्यापन का संबंध है, ऊपर दिए गए उत्तरों को दोहराया जाता है।

1.16 पेंशन संबंधी मामले पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग के विषय हैं और सिफारिशों की एक प्रति डीओपीएंडपीडब्ल्यू (**अनुबंध दो**) को भेज दी गई है। जहां तक जाति प्रमाण पत्र के समय पर सत्यापन का संबंध है, इस संबंध में नीतिगत अनुदेशों को सभी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों और केंद्र सरकार के मंत्रालयों/विभागों को समय-समय पर सूचित किया गया है और दिनांक 19.3.2021 (**अनुबंध तीन**) के पत्र संख्या 41034/4/2020-स्था. (आरक्षण-I) के माध्यम से दोहराया गया है।

समिति की टिप्पणी

1.17 समिति नोट करती है कि जाति प्रमाण पत्र के सत्यापन के नाम पर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का उत्पीड़न करने और जाति प्रमाण पत्र के सत्यापन में अनुचित विलंब के मामलों की संख्या बढ़ रही है। इसलिए, समिति की यह राय है कि डीओपीटी के लिए जाति प्रमाण पत्र के सत्यापन की प्रक्रिया को सरल और सुव्यवस्थित बनाने के लिए राज्य सरकार की मशीनरी को सुग्राही बनाए ताकि जाति प्रमाण पत्र के कारगर परिणाम प्राप्त हों। इस उद्देश्य के लिए डीओपीटी दिनांक 23.03.2007 के अपने पहले के पत्र को दोहराए, जिसमें राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों से अनुरोध किया गया है कि वे जिलों के जिला मजिस्ट्रेटों/जिला

कलेक्टरों/उपायुक्तों को सख्त अनुदेश जारी करें कि वे अपने स्तर पर यह सुनिश्चित करें कि जिला प्राधिकारियों को संदर्भित जाति/समुदाय प्रमाण पत्र का, अनुरोध प्राप्त होने के एक महीने के भीतर सत्यापन किया गया है और नियुक्ति प्राधिकारी को सूचित किया गया है। समिति इस बात को भी दोहराती है कि परिसीमा अधिनियम को प्रत्येक राज्य में राज्य जाति संवीक्षा समिति पर भी लागू किया जाए ताकि जाति प्रमाणपत्र को सत्यापित करने में लगने वाली लंबी अवधि को रोका जा सके और निरंतर तनाव या भय में रहने और सेवानिवृत्ति के बाद होने वाली दर्दनाक घटनाओं का अनुभव करने का कारण बनने से रोक जा सके।

समिति इस बात को भी दोहराती है कि सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय डीओपीटी, विधि मंत्रालय और राज्य सरकारों के परामर्श से जाली जाति प्रमाणपत्रों की समस्या को रोकने के लिए संसद में पुरस्थापित करने और पारित करने के लिए उपयुक्त विधान तैयार करे। समिति इस कार्रवाई के परिणाम के बारे में जानना चाहती है।

अध्याय- दो

सिफारिशें/टिप्पणियां, जिन्हें सरकार ने स्वीकार कर लिया है

सिफारिश क्र. सं. 2

2.1 कई बार यह देखा गया है कि पुराने रिकार्ड उपलब्ध न होने के कारण सत्यापन प्रक्रिया में लंबा समय लगता है। यह विशेष रूप से उन मामलों में होता है जब व्यक्ति की नियुक्ति होने के 30-35 वर्षों के पश्चात सत्यापन किया जा रहा हो, जो रिकॉर्ड बहुत पुराने हैं, उनकी उपलब्धता काफी मुश्किल होती है। कार्यालयों में अधिकांश कर्मचारी तब तक सेवानिवृत्त या स्थानांतरित हो चुके होते हैं और वे अपने पूर्ववर्तियों द्वारा बहुत पहले जारी किए गए प्रमाण पत्र की प्रामाणिकता की पुष्टि करने में असमर्थ होते हैं। इस सन्दर्भ में समिति डीओपीटी के निम्नलिखित कार्यालय ज्ञापनों को उद्धृत करना चाहेगी

- दिनांक 25.05.2005 के डीओपी एंड टी का.ज्ञा. संख्या 230/08/2005-एवीडी-II और दिनांक 09.09.2005 के डीओपी एंड टी का.ज्ञा. संख्या 36011/3/2005-स्था.(आरक्षण) इसकी प्रति अनुबंध क में दी गई है।
- "बेनामी/छद्म नाम से शिकायत पर कार्रवाई पर दिनांक 07-03-2016 के सीवीसी का परिपत्र संख्या 98/डीएसपी/9(भाग-2) -प्रति अनुबंध ख में दी गई है।

उपर्युक्त का. ज्ञा. और सीवीसी परिपत्र में स्पष्ट रूप से यह निर्धारित किया गया है कि अनुसूचित जनजाति जाति प्रमाण पत्र वाले केवल उन्हीं कर्मचारियों का सत्यापन किया जाना चाहिए जिन्हें वर्ष 1995 के बाद सीपीएसयू सहित विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के तहत या प्रारंभिक नियुक्ति/पदोन्नति पर नियुक्त किया गया था। इसके अतिरिक्त, सीवीसी के दिशा-निर्देशों के अनुसार, बेनामी/छद्म नाम से की गई शिकायतों पर कोई कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए। समिति प्राप्त हुई शिकायतों/अभ्यावेदनों की संख्या को ध्यान में रखते हुए यह अपेक्षा करती है कि इस संबंध में नोडल एजेंसी होने के नाते कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग सभी मंत्रालयों/विभागों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को पुन: अपना परिपत्र परिचालित कर सकती है कि वर्ष 1995 से पूर्व नियुक्त किए गए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों के पेंशन लाभों और परिलब्धियों को उनके जाति प्रमाण-पत्रों का सत्यापन नहीं किए जाने की स्थिति में रोका नहीं जाना चाहिए। इसके अलावा, जिन कर्मचारियों को वर्ष 1995 के बाद नियुक्त किया गया है, उनकी सत्यापन की प्रक्रिया समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत करने की तारीख से तीन माह के भीतर पूरी की जानी चाहिए। समिति दोहराती है कि किसी भी परिस्थिति में, किसी भी संगठन/विभाग/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम द्वारा पेंशन को रोका नहीं जाना चाहिए।

सरकार का उत्तर

2.2 जैसा कि उपर्युक्त बिंदु 1 में दिए गए उत्तर में उल्लेख किया गया है, डीओपीटी के नीति अनुदेशों में जाति प्रमाण पत्र के समय पर सत्यापन किए जाने का प्रावधान है। वस्तुत:, डीओपीटी ने दिनांक 20-03-2007 के पत्र सं 36022/1/2007-स्था.(आरक्षण) के माध्यम से राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों से अनुरोध किया है कि वे जिलों के जिला मजिस्ट्रेटों/जिला कलेक्टरों/उपायुक्तों को इस आशय के अनुदेश जारी करें कि वे अपने स्तर पर यह सुनिश्चित करें कि जिला प्राधिकारियों को भेजे गए जाति/समुदाय प्रमाण पत्र की सत्यता सत्यापित की गई है और ऐसे प्राधिकारी से अनुरोध प्राप्त होने के एक माह के भीतर नियुक्ति प्राधिकारी को सूचना दी गई है। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों से उन अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू करने का भी अनुरोध किया गया था जो समय पर जातिगत स्थिति के सत्यापन में चूक करते हैं। इन अनुदेशों को दिनांक 19.03.2021 के का.ज्ञा. के माध्यम से पुन: दोहराया गया है। **(अनुबंध तीन)**

जहां तक अनुसूचित जनजाति श्रेणी के कर्मचारियों, जिन्हें वर्ष 1995 के बाद नियुक्त किया गया था, के जाति प्रमाण पत्र के सत्यापन के संबंध में दिनांक 25-05-2005 के का.ज्ञा. संख्या 230/08/2005-एवीडी II का संबंध है, यह उल्लेखनीय है कि कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा यह का. ज्ञा. दिनांक 12.01.2005 के सीडब्ल्यूपी संख्या 5976/2003 में माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसरण में जारी किया गया था, जिसमें माननीय न्यायालय ने उन कर्मचारियों के अनुसूचित जनजाति प्रमाण-पत्र सत्यापित करने का निदेश दिया था जिन्होंने वर्ष 1995 से 2000 के बीच रोजगार प्राप्त किया था तथा तत्पश्चात विधि के अनुसार उचित कार्रवाई करने का निदेश दिया। इसके अनुसरण में डीओपीटी ने दिनांक 25-05-2005 के का.ज्ञा. के माध्यम से अनुसूचित जनजाति प्रमाण-पत्र के आधार पर रोजगार प्राप्त करने वाले कर्मचारियों की जाति का सत्यापन करने के लिए अतिरिक्त निदेशक, सीबीआई की अध्यक्षता में एक समन्वय तंत्र की स्थापना की थी। इस प्रकार, दिनांक 25-05-2005 का का.ज्ञा. केवल माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के विशिष्ट निदेशों का अनुपालन करने के लिए जारी किया गया था और इसने कर्मचारियों के जाति प्रमाण पत्र के सत्यापन के संबंध में कोई नीति नहीं बनाई थी। इस संबंध में नीति में प्रावधान है कि जातिगत स्थिति का समय पर और प्रभावी सत्यापन आवश्यक है ताकि आरक्षण और रियायतों की अन्य योजनाओं आदि का लाभ केवल सही दावेदारों को ही मिले। इसमें यह भी प्रावधान है कि प्रारंभिक नियुक्ति के बाद किसी व्यक्ति की जाति/समुदाय को अनुसूची से हटाया जा सकता है और इसलिए, कर्मचारी के करियर के हर महत्वपूर्ण उत्थान पर जाति की स्थिति का सत्यापन भी आवश्यक है।

दिनांक 09-09-2005 के का.ज्ञा.सं. 36011/3/2005-स्था.(आरक्षण), (जैसा कि संदर्भित है) में डीओपीटी के निदेशों को दोहराते हुए कि कर्मचारी के करियर के हर महत्वपूर्ण उत्थान पर जातिगत स्थिति का सत्यापन आवश्यक है, में डीओपीटी के पूर्ववर्ती निदेशों को भी दोहराया गया है कि नियुक्ति अधिकारियों को अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के नियुक्ति पत्र में एक शर्त शामिल करनी चाहिए कि उनकी नियुक्ति उनके जाति/समुदाय के सत्यापन के अधीन अनंतिम है और यदि सत्यापन से पता चलता है कि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से संबंधित उनका दावा गलत है, तो उनकी सेवाओं को बिना कोई और कारण बताए तत्काल समाप्त कर दिया जाएगा और उन पर झूठे प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के लिए भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जा सकती है। इस प्रकार दिनांक 09.09.2005 का का.ज्ञा. कर्मचारियों के जाति प्रमाण-पत्रों के सत्यापन के संबंध में डीओपीटी के अनुदेशों की पुनरावृत्ति के अलावा और कुछ नहीं है। जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है इन निदेशों को दिनांक 19.03.2021 के पत्र के माध्यम से दोहराया गया है, तथापि, जहां तक पेंशन संबंधी मामलों का संबंध है। पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग नोडल विभाग है और इन सिफारिशों की एक प्रति पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग (प्रति **अनुबंध दो पर**) को अग्रेषित कर दी गई है।

समिति की टिप्पणी

2.3 कृपया अध्याय एक का पैरा 1.9 देखिए।

सिफारिश क्र. सं. 3

2.4 जाति प्रमाण पत्रों के लिए सत्यापन प्रक्रिया आमतौर पर किसी व्यक्ति के खिलाफ शिकायतें प्राप्त करने पर शुरू की जाती है। जब तक प्रथमदृष्टया इस प्रकार प्राप्त हुई शिकायत यथार्थ प्रमाणिक नहीं दिखाई देती, तब तक समिति का मानना है कि इस पर विचार नहीं किया जाना चाहिए। छद्म नाम/अनाम शिकायतों पर बिल्कुल भी विचार नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि यह दुर्भावनापूर्ण इरादों के कारण हो सकता है। इसलिए समिति सिफारिश करती है कि सत्यापन की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित किया जाना चाहिए ताकि यह निर्दोष लोगों को परेशान करने का एक उपकरण न बन सके। सितंबर, 2020, दिसंबर, 2020 और मार्च, 2021 में बैठक के लिए बुलाए गए गवाहों के विचार-विमर्श के अवलोकन के दौरान समिति ने पाया कि जाति प्रमाण पत्रों के सत्यापन के अधिकांश मामलों को राज्य स्तरीय संवीक्षा समितियों को भेजा जाता है, जो सत्यापन प्रक्रिया को पूरा करने के लिए केंद्रीय संगठन हैं। यह देखा गया है कि राज्य स्तरीय

संवीक्षा समितियां आमतौर पर उन मामलों की कार्यवाही में असावधानीवश विलंब का कारण बनती हैं, जिसके कारण सेवानिवृत्त कर्मचारियों को अत्यधिक मानसिक उत्पीड़न और वित्तीय कठिनाइयां होती हैं। इसलिए समिति पुरजोर रूप से यह सिफारिश करती है कि राज्य स्तरीय संवीक्षा समितियों के कार्यकरण को सुव्यवस्थित किया जाए। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय (पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग) को स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी करने चाहिए, जिनका पालन सभी राज्य सरकारों/राज्य स्तरीय संवीक्षा समितियों द्वारा किया जाना चाहिए। सत्यापन प्रक्रिया को छह महीने के भीतर पूरा किया जाना चाहिए और जाति प्रमाण पत्र के सत्यापन की प्रक्रिया के दौरान किसी भी अत्यधिक विलंब के लिए जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए।

चूंकि, लगभग सभी संगठनों में ऐसे मामलों में लगातार वृद्धि हो रही है तथा कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के इस संबंध में नोडल एजेंसी होने के कारण समिति सिफारिश करती है कि निम्नलिखित बिंदुओं को शामिल करते हुए स्पष्ट दिशानिर्देश जारी किए जाने चाहिए: -

(i) जाति प्रमाण पत्र का प्रारंभिक सत्यापन, साक्षात्कार और कार्यभार ग्रहण करने के समय अनिवार्य रूप से पूरा किया जाना चाहिए।

(ii) इसे उम्मीदवार के कार्यभार ग्रहण करने के छह महीने के भीतर संबंधित विभाग/मंत्रालय/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/बैंकों/स्वायत्त निकाय द्वारा पूरा किया जाना चाहिए।

(iii) समिति का दृढ़ मत यह है कि किसी भी कीमत पर जाति प्रमाण पत्र के सत्यापन को कम से कम कर्मचारियों की परिवीक्षा अवधि अर्थात कार्यभार ग्रहण करने के 02 वर्ष पूरे होने से पहले प्रमाणित किया जाना चाहिए। यदि जाति प्रमाण पत्र का सत्यापन, साक्षात्कार, कार्यभार ग्रहण करने के समय या कम से कम परिवीक्षा अवधि से पहले या उससे पहले पूरा नहीं किया जाता है तो संबंधित कर्मचारियों द्वारा किए गए अनुचित विलंब के लिए जिम्मेदार व्यक्ति परजवाबदेही तय की जानी चाहिए।

(iv) परिसीमा अधिनियम के अनुसार, जाति प्रमाण-पत्र के सत्यापन की सीमा अनिवार्य रूप से दी जानी चाहिए, अन्यथा जाति प्रमाण-पत्र के उद्देश्य असफल हो जाएगा और इस बात की पूरी आशंका है कि जाति प्रमाण पत्र के सत्यापन की शक्ति का संबंधित अधिकारी/कर्मचारियों द्वारा अत्यधिक दुरूपयोग किया जाएगा जैसा कि वर्तमान में राज्य में बहुत से प्राधिकारियों द्वारा जाति प्रमाण-पत्र के सत्यापन में अत्यधिक विलंब करके किया जा रहा है।

(v) परिसीमा अधिनियम को प्रत्येक राज्य में राज्य जाति संवीक्षा समिति पर भी लागू किया जाना चाहिए ताकि उन्हें जाति प्रमाण पत्र को सत्यापित करने के लिए असीमित समयावधि लेने और अथक तनाव या भय में रहने और सेवानिवृत्ति के बाद होने वाली दर्दनाक घटनाओं का अनुभव करने का कारण बनने के लिए रोका जा सके।

(vi) समिति का मानना है कि यह एक विडम्बना है कि लगभग सभी मंत्रालयों, विभागों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, बैंकों और स्वायत्तशासी निकायों, में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को कार्यभार ग्रहण करने, पदोन्नति, परिवीक्षा सेवानिवृत्ति से पहले और पश्चात् के दौरान जाति प्रमाण पत्र के सत्यापन की समान समस्या का सामना करना पड़ रहा है और अभी भी कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय और जनजातीय कार्य विभाग एनसीएससी तथा एनसीएसटी द्वारा उनकी आजीविका और जीवन के अपने महत्वपूर्ण मुद्दे को हल करने के लिए कुछ भी ठोस नहीं किया गया है। समिति इस महत्वपूर्ण मामले पर अपनी आंखें और कान बंद रखने के लिए संबंधित मंत्रालयों/विभागों आदि के कार्यकरण पर अपनी गहरी संवेदना और असंतोष व्यक्त करती है। इसलिए, समिति पुरजोर रूप से सिफारिश करती है कि कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग जब तक सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, जनजातीय कार्य मंत्रालय और राज्य सरकार के परामर्श से इस आशय के औपचारिक दिशा-निर्देश जारी नहीं करे तब तक सभी मंत्रालयों/विभागों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/बैंकों और अन्य स्वायत्तशासी निकायों को अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी संसदीय समिति से प्राप्त उपर्युक्त दिशानिर्देशों को ध्यान में रखते हुए तेजी से कार्य करने के लिए संवेदनशील बनाए।

(vii) समिति ने पूर्व पैराग्राफों और टिप्पणियों को ध्यान में रखते हुए दृढ़ता से सिफारिश की है कि सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय को डीओपीटी, विधि और न्याय मंत्रालय (विधायी विभाग) और राज्य सरकार के परामर्श से संसदीय समिति द्वारा की गई टिप्पणी को ध्यान में रखते हुए एक उपयुक्त विधान का मसौदा तैयार करना चाहिए और मंत्रिमंडल के अनुमोदन के बाद इसे पारित कराने के लिए संसद के अगले बजट सत्र 2022 में इसे पेश करना चाहिए। समिति का दृढ़ मत है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समुदाय के हितों की रक्षा के लिए उपयुक्त उपबंध को शामिल करके झूठे जाति प्रमाण पत्र निवारण विधेयक को पारित किए जाने के बाद, जाति प्रमाण पत्र सत्यापित करने के लिए केंद्र और राज्य स्तर पर जाति प्रमाण पत्र के सत्यापन में अत्यधिक विलंब और गलती करने वाले अधिकारी/कर्मचारियों की जवाबदेही तय करने संबंधी अधिकांश मुद्दों का समाधान स्वत: ही हो जाएगा।

(viii) पेंशन जारी करने के लिए पेंशन दिशानिर्देश उन लोगों के लिए भी जारी किए जा सकते हैं जिनके जाति प्रमाणों को सेवानिवृत्ति के समय तक सत्यापित नहीं किया गया है। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के जिन व्यक्तियों के माता-पिता, दादा-दादी पहले ही सक्षम प्राधिकारी से जाति प्रमाण पत्र प्राप्त कर चुके हैं, उन्हें अपने बच्चों को स्कूल में प्रवेश लेने और नौकरी और अन्य लाभ प्राप्त करने की सुविधा प्रदान करने के लिए जाति प्रमाण पत्र प्राप्त करने की अनुमति देनी चाहिए, जब तक कि राज्य सरकार के राजस्व विभाग द्वारा घोषित झूठे प्रमाण पत्र का प्रथम दृष्टया मामला न हो। 1995 से पहले बनाए गए अनुसूचित जनजाति जाति प्रमाण पत्रों का सत्यापन नहीं करने के लिए उच्चतम न्यायालय के फैसले का अक्षरश: पालन किया जाना चाहिए।

(ix) सेवानिवृत्ति के निकट आने वाले या सेवानिवृत्त लोगों के लिए, यदि किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा एक प्रमाण पत्र जारी किया गया है जिसे रिकॉर्ड की अनुपस्थिति या किसी अन्य कारणों से उसकी सेवानिवृत्ति तक सत्यापित नहीं किया गया है, तो सेवानिवृत्ति के अंत में जाति प्रमाण पत्र के सत्यापन से सेवानिवृत्त व्यक्ति का मानसिक, शारीरिक और वित्तीय उत्पीड़न होगा। इसके अतिरिक्त, उस स्तर पर, सरकार द्वारा 30-40 वर्ष की सेवा अवधि के दौरान उन्हें प्रदान किए गए वेतन भत्तों, एलटीसी और चिकित्सा सुविधाओं आदि को प्राप्त करना संभव नहीं है। ऐसे में, समिति का मानना है कि अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति पर यह एक गंभीर अन्याय और अत्याचार है कि एक संगठन के लिए अपने पूरे युवा जीवन के प्रमुख हिस्से में काम करने के बाद उनके जाति प्रमाण पत्र के सत्यापन और सेवानिवृत्ति लाभों से इनकार करने पर जोर दें। ऐसे मामलों में अंतिम उपाय कर्मचारी के लिए अदालत का रुख करना है जो एक थकाऊ लंबी अवधि की प्रक्रिया भी है। इसलिए समिति सिफारिश करती है कि डीओपीटी को इन मुद्दों को हल करने और इन सेवानिवृत्त होने वाले/सेवानिवृत्त कर्मचारियों के हितों की रक्षा करने के लिए राज्य सरकार, विधि और न्याय मंत्रालय के परामर्श से उपयुक्त दिशानिर्देश तैयार करने चाहिए।

सरकार का उत्तर

2.5 यह दोहराया जाता है कि कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के अनुदेशों में जाति/समुदाय प्रमाण पत्र के समय पर सत्यापन का प्रावधान है। जैसा कि पहले ही ऊपर उल्लेख किया गया है, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों और केंद्र सरकार के मंत्रालयों/विभागों को समय-समय पर अनुदेश जारी किए गए हैं कि जहां अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से संबंधित कोई उम्मीदवार किसी भी निर्धारित प्राधिकारी वाला प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने में असमर्थ है, तो उसे अपने दावे के समर्थन में प्रथमदृष्टया प्रस्तुत किए जाने वाले किसी प्रमाण पत्र के आधार पर अनंतिम रूप से नियुक्त किया जा सकता है, बशर्ते कि वह एक उचित समय के भीतर निर्धारित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करे और यदि उसे प्रमाण पत्र प्राप्त करने में वास्तविक कठिनाई होती है,

तो नियुक्ति प्राधिकारी को संबंधित जिला मजिस्ट्रेट के माध्यम से उसके दावों को स्वयं सत्यापित करना चाहिए। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने दिनांक 20-03-2007 के पत्र के माध्यम से राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों से यह अनुरोध किया है कि वे जिलों के जिला मजिस्ट्रेटों/जिला कलेक्टरों/उपायुक्तों को इस आशय के अनुदेश जारी करें कि वे अपने स्तर पर यह सुनिश्चित करें कि जिला प्राधिकारियों को संदर्भित जाति/समुदाय प्रमाण पत्र की सत्यता का सत्यापन किया गया है और ऐसे प्राधिकारी से अनुरोध की प्राप्ति के **एक महीने के भीतर** नियुक्ति प्राधिकारी को सूचित किया जाए। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों से यह भी अनुरोध किया गया था कि वे जाति स्थिति के समय पर सत्यापन में चूक करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू करें।

2.6 यह दोहराया जाता है कि जाति प्रमाण पत्र जारी करने और उनके सत्यापन की जिम्मेदारी संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार की है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने *कुमारी माधुरी पाटिल बनाम अपर आयुक्त* के मामले में दिनांक 2-9-1994 के अपने आदेश के माध्यम से राज्य सरकारों द्वारा जाति प्रमाण पत्रों के प्रभावी सत्यापन के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश निर्धारित किए हैं। जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने पहले ही राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से अनुरोध किया है कि वे जिलों के जिला मजिस्ट्रेटों/जिला कलेक्टरों/जिलों के उपायुक्तों को इस आशय के अनुदेश जारी करें कि वे अपने स्तर पर यह सुनिश्चित करें कि जिला प्राधिकारियों को संदर्भित जाति/समुदाय प्रमाण पत्र की सत्यता का सत्यापन किया जाए और ऐसे प्राधिकारी से अनुरोध की प्राप्ति के **एक महीने के भीतर** नियुक्ति प्राधिकारी को सूचित किया जाए। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों से यह भी अनुरोध किया गया था कि वे जाति स्थिति के समय पर सत्यापन में चूक करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू करें।

2.7 डीओपीटी ने समय-समय पर भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों को समय पर जाति/समुदाय संबंधी प्रमाण पत्र के सत्यापन के संबंध में नीतिगत अनुदेश जारी किए हैं। हालांकि, अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजाति के कल्याण संबंधी संसदीय समिति द्वारा 18.12.2020 को अपनी बैठकों के दौरान दिए गए निर्देशों के अनुसरण में, डीओपीटी ने सार्वजनिक उद्यम विभाग, वित्तीय सेवाएं विभाग और रेल मंत्रालय सहित केंद्र सरकार के सभी विभागों/मंत्रालयों को पृष्ठांकित करते हुए 19.3.2021 को सभी राज्य / संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को फिर से एक पत्र जारी किया है, केन्द्र सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध किया गया है कि वे समय पर जाति/समुदाय प्रमाण पत्र के सत्यापन के संबंध में मौजूदा अनुदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करें।

2.8 चूंकि, समिति ने सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय से सत्यापन की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के लिए एक उपयुक्त विधान का मसौदा तैयार करने का अनुरोध किया है, इसलिए इसकी एक प्रति

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय को अग्रेषित कर दी गई है (प्रति **अनुबंध चार** के रूप में संलग्न है)।

2.9 पेंशन मामलों के संबंध में पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग नोडल विभाग है और इसलिए इसकी एक प्रति डीओपीएंडपीडब्ल्यू (**अनुबंध एक**) को भेज दी गई है। जहां तक जाति प्रमाण पत्र के सत्यापन का संबंध है, ऊपर दिए गए उत्तरों को दोहराया जाता है।

2.10 पेंशन संबंधी मामले पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग के विषय हैं और सिफारिशों की एक प्रति डीओपीएंडपीडब्ल्यू (**अनुबंध दो**) को भेज दी गई है। जहां तक जाति प्रमाण पत्र के समय पर सत्यापन का संबंध है, इस संबंध में नीतिगत अनुदेशों को सभी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों और केंद्र सरकार के मंत्रालयों/विभागों को समय-समय पर सूचित किया गया है और दिनांक 19.3.2021 (**अनुबंध तीन**) के पत्र संख्या 41034/4/2020-स्था. (आरक्षण-I) के माध्यम से दोहराया गया है।

समिति की टिप्पणी

2.11 कृपया अध्याय एक का पैरा संख्या 1.17 देखिए।

अध्याय तीन

सिफारिशें /टिप्पणियां, जिनके संबंध में समिति सरकार के उत्तरों को देखते हुए आगे कार्यवाही नहीं करना चाहती

-शून्य-

अध्याय चार

सिफारिशें/ टिप्पणियां, जिनके संबंध में समिति ने सरकार के उत्तर स्वीकार नहीं किए हैं और जिन्हें दोहराए जाने की आवश्यकता है

सिफारिश क्रम संख्या 1

4.1 समिति अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद, नई दिल्ली द्वारा समिति को दिए गए अपने अभ्यावेदन में लगाए गए आरोपों को बहुत गंभीरता से लेती है। एक कर्मचारी जो किसी संगठन के लिए अपने जीवन के अधिकांश समय तक काम करता है, उसे एक ऐसे कारण के लिए पेंशन के अपने अधिकारों से वंचित कर दिया जाता है, जोकि उसकी गलती भी नहीं है। समिति का मानना है कि जब कोई व्यक्ति किसी संगठन में कार्यरत होता है, तो यह उस संगठन का कर्तव्य है कि सेवा में शामिल करते समय उस व्यक्ति के सभी दस्तावेजों का सत्यापन करे। इसमें उसके जाति प्रमाण पत्र का सत्यापन भी शामिल है जिसके आधार पर उसने रोजगार प्राप्त किया है। यदि संगठन किसी व्यक्ति के सेवा में शामिल होते समय तुरंत सत्यापन प्रक्रिया करता है, तो कोई भी व्यक्ति झूठे जाति प्रमाण पत्र के आधार पर रोज़गार प्राप्त नहीं कर सकता है। समिति ने पाया है कि वर्तमान में जाति प्रमाण पत्र का सत्यापन कर्मचारी के कैरियर के अंत में शुरू किया जाता है। इन व्यक्तियों के पेंशन लाभों को रोकना कर्मचारी का मानसिक, वित्तीय और साथ ही शारीरिक प्रकार का घोर उत्पीड़न है क्योंकि सेवानिवृत्ति के करीब एक व्यक्ति लगभग एक वरिष्ठ नागरिक हो जाता है जिस पर कई स्वास्थ्य और पारिवारिक जिम्मेदारियां होती है। समिति का मानना है कि सेवा में शामिल होते समय कर्मचारी के जाति प्रमाण पत्र का सत्यापन नहीं कराने और उसे वर्षों तक लंबित रखने के लिए कर्मचारी के संगठन को जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए। इस चूक के लिए जिम्मेदारी संगठन की है ना कि कर्मचारी की और इसलिए कर्मचारी की किसी गलती के बिना उसकी पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभों को किसी भी तरह से रोका नहीं जाना चाहिए। समिति दृढ़ता से यह महसूस करती है कि यह अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों को परेशान करने के लिए संबंधित संगठनों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा नियोजित कार्यप्रणाली है।

इसलिए, समिति दृढ़ता से सिफारिश करती है कि कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग को दिशानिर्देश जारी करने चाहिए जिससे किसी कर्मचारी के सेवा में शामिल होने के छह महीने के भीतर जाति प्रमाण-पत्र को सत्यापित किया जाए अन्यथा उसके प्रमाण-पत्र को प्रामाणिक, जब तक कि उसके स्थायीकरण से पूर्व अन्यथा साबित न हो, माना जाएगा। समिति सिफारिश करती है कि राज्य सरकार के साथ समन्वय स्थापित

करते हुए डीओपीटी को जाति प्रमाण पत्र के सत्यापन को एक समयबद्ध प्रक्रिया बनाना चाहिए ताकि इसका उपयोग किसी भी संगठन/विभाग/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/स्वायत्त निकायों आदि द्वारा सेवानिवृत्ति के समय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के भोले-भाले कर्मचारियों को परेशान करने के लिए एक उपकरण के रूप में नां किया जा सके।

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय (पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग) को सभी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/संगठनों/सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों आदि को स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी करने चाहिए कि किसी व्यक्ति के सेवा में शामिल होने के छह महीने के भीतर उस व्यक्ति के जाति प्रमाण पत्र का सत्यापन किया जाए। राज्य स्तरीय संवीक्षा समिति जिसने प्रमाण पत्र जारी किया है, को कम से कम छह महीने के भीतर या कर्मचारियों के स्थायीकरण से पूर्व, जो भी बाद में हो, किसी भी कीमत पर प्रमाण-पत्र की प्रमाणिकता की पुष्टि करने के लिए कहा जाए। यदि किसी भी कारणवश राज्य स्तरीय संवीक्षा समिति ऐसा करने में सक्षम ना हो तो उन्हें लिखित में कारण बताते हुए समय अवधि विस्तार लेना चाहिए, जो किसी भी परिस्थिति में छः माह से ज्यादा का नहीं होगा।

सरकार का उत्तर

4.2 भारत सरकार (कार्य आबंटन) नियमों के अनुसार, केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के सेवानिवृत्ति लाभों से संबंधित मामलों की नीति तैयार करना और समन्वय करना और केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972, केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन सारांशीकरण) नियम, 1981, केन्द्रीय सिविल सेवा (असाधारण पेंशन) नियम, 1939; अखिल भारतीय सेवा (मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति लाभ) नियम, 1958, और केंद्र सरकार के पेंशनभोगियों से संबंधित किसी भी अन्य योजना की व्यवस्था पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग (डीओपी एंड पीडब्ल्यू) को सौंपी गई है। अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी संसदीय समिति की दिनांक 18.12.2020 को आयोजित बैठक के दौरान सेवानिवृत्त अनुसूचित जनजाति कर्मचारियों के पेंशन लाभ जारी करने के निर्देशों के अनुसरण में, डीओपीटी ने अपने दिनांक 12.1.2021 के का.ज्ञा. (प्रति **अनुबंध एक** में है) के माध्यम से डीओपी एंड पीडब्ल्यू से इस मामले में आवश्यक कार्रवाई करने का अनुरोध किया था। इसके अतिरिक्त, इन सिफारिशों की एक प्रति आवश्यक कार्रवाई के लिए उस विभाग को पुनः अग्रेषित कर दी गई है (प्रति **अनुबंध दो में है**)

जहां तक किसी उम्मीदवार की जाति के सत्यापन का संबंध है, यह बताया गया है कि जाति प्रमाण पत्र जारी करने और उसके सत्यापन की जिम्मेदारी संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार की है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने *कुमारी माधुरी पाटिल बनाम अपर आयुक्त* के मामले में दिनांक 2-9-1994 के अपने

आदेश के माध्यम से राज्य सरकार द्वारा कर्मचारियों के जाति प्रमाण पत्रों के प्रभावी सत्यापन के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश निर्धारित किए हैं।

डीओपीटी ने समय-समय पर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों और केन्द्र सरकार के मंत्रालयों/विभागों को जाति प्रमाण पत्र के यथासमय सत्यापन के लिए विभिन्न अनुदेश जारी किए हैं। डीओपीटी के दिनांक 31.10.1975 के निर्देशों में प्रावधान है कि जहां अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से संबंधित कोई उम्मीदवार किसी भी निर्धारित प्राधिकारी से प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने में असमर्थ है, तो वह अपने दावे के समर्थन में जो भी प्रथम दृष्टया प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने में सक्षम है उस आधार पर उसे अस्थायी रूप से नियुक्त किया जा सकता है, बशर्ते कि वह उचित समय के भीतर निर्धारित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करे और यदि उसे प्रमाण पत्र प्राप्त करने में सच में कठिनाई आ रही हो तो नियुक्ति प्राधिकारी को संबंधित जिला मजिस्ट्रेट के माध्यम से उसके दावों को स्वयं सत्यापित करना चाहिए। डीओपीटी ने दिनांक 20-03-2007 के पत्र के माध्यम से राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों से अनुरोध किया है कि वे जिला मजिस्ट्रेटों/जिला कलेक्टरों/जिला उप आयुक्तों को इस आशय के निर्देश जारी करें कि वे अपने स्तर पर यह सुनिश्चित करें कि जिला प्राधिकारियों को निर्दिष्ट जाति/समुदाय प्रमाण पत्र की सत्यता का सत्यापन किया जाए और ऐसे प्राधिकारी से अनुरोध प्राप्त होने के **एक महीने के भीतर** नियुक्ति प्राधिकारी को सूचित किया जाए। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों से यह भी अनुरोध किया गया था कि वे उन अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू करें जो जातिगत स्थिति के यथासमय सत्यापन में चूक करते हैं। 18.12.2020 को अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी संसदीय समिति की बैठक के दौरान दिए गए निर्देशों के अनुसरण में, डीओपीटी ने 19.3.2021 को केंद्र सरकार के सभी विभागों/मंत्रालयों को पृष्ठांकित करते हुए सभी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को फिर से एक पत्र जारी किया है, जिसमें कर्मचारियों के जाति प्रमाण पत्र के यथासमय सत्यापन के अनुदेशों को दोहराया गया है (प्रति **अनुबंध तीन** में है)।

समिति की टिप्पणी

4.3 कृपया अध्याय एक का पैरा संख्या 1.6 देखिए।

अध्याय पांच

सिफारिशें/टिप्पणियां, जिनके संबंध में सरकार के अंतिम उत्तर अभी प्राप्त नहीं हुए हैं।

--शून्य—

नई दिल्ली;
20 दिसम्बर, 2022

अग्रहायण, 1944(शक)

डॉ. (प्रो.) किरिट प्रेमजीभाई सोलंकी
सभापति

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति

परिशिष्ट – दो

(देखिए प्राक्कथन का पैरा 4)

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति के नौवें प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई का विश्लेषण।

1.	सिफारिशों की कुल संख्या	03
2.	टिप्पणियां/सिफारिशें, जिन्हें सरकार ने स्वीकार कर लिया है:	
	(देखिए सिफारिश क्रम सं. 2और 3)	02
	कुल का प्रतिशत	67%
3.	टिप्पणियां/सिफारिशें, जिनके संबंध में समिति सरकार के उत्तरों को देखते हुए आगे कार्रवाई नहीं करना चाहती:	
		00
	कुल का प्रतिशत	00%
4.	टिप्पणियां/सिफारिशें, जिनके संबंध में समिति ने सरकार के उत्तर स्वीकार नहीं किए हैं और जिन्हें दोहराए जाने की आवश्यकता है:	
	(देखिए सिफारिश क्रम सं. 1)	01
	कुल का प्रतिशत	33%
5.	टिप्पणियां/सिफारिशें, जिनके संबंध में सरकार के अंतिम उत्तर अभी प्राप्त नहीं हुए हैं:	00
	कुल का प्रतिशत	00%

ANNEXURE-I

File No.41034/4/2020-Estt.(Res-I)
Government of India
Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions
Department of Personnel & Training

-263-

North Block, New Delhi-1
Dated the 12th February, 2021

OFFICE MEMORANDUM

Sub:- Parliamentary Committee for Welfare of Scheduled Castes and Scheduled Tribes– Study of Atrocity cases against Schedule Caste and Scheduled Tribes with respect to implementation of the Prevention of Atrocity Act, 1989' – regarding release of retirement benefits to those ST employees whose caste certificate is pending verification.

The undersigned is directed to refer to Lok Sabha Secretariat OM No.57/1/1/SCST/2019, dated 11th January, 2021 and the OM No. 38/09(02)/2020 – P&PW(A) (6721) dated 14.1.2021 received from D/o Pension and Pensioners' Welfare on the above subject. It is stated that the Lok Sabha Secretariat, vide its above mentioned OM dated 11.1.2021, has informed that the Parliamentary Committee on the Welfare of SCs and STs has desired that keeping in view DoPT OM No.230/08/2005-ADV.II dated 25.05.2005 and CVC circular dated 7.3.2016, instructions may be issued to the Government authorities that the pensionary benefits and emoluments of SC/ST employees who were appointed before 1995 should not be withheld in case their caste certificates have not been verified and in case of delay, accountability may be fixed. It is stated that the copy of the above communication from Lok Sabha Secretariat has already been forwarded to the concerned Division of DoPT. However, insofar as the issue of pensionary benefits is concerned, Department of Pension and Pensioners Welfare is the nodal Department. Hence, D/o Pension and Pensioners Welfare may take necessary action in the matter.

2. This issues with the approval of Addl. Secretary (Estt.).

12/2/2021

(Sandeep Saxena)
Deputy Secretary to the Government of India

Department of Pension and Pensioners' Welfare,
(Kind Attn: Shri R.C. Sethi, Under Secretary)
Lok Nayak Bhawan, Khan Market, New Delhi-110003.

Copy to: Lok Sabha Secretariat (Kind Attn.: Shri D.R. Shekhar, Joint Secretary), 10(G/F), Parliament House Annexe, New Delhi – 110001.

ANNEXURE-II

F.No. 41034/1/2022-Estt (Res)
Government of India
Ministry of Personnel, Public Grievances & Pensions
Department of Personnel and Training

....

New Delhi, dated the June 3, 2022

OFFICE MEMORANDUM

Subject: **Action Taken Note (ATN) on the recommendations of the Parliamentary Committee on the Welfare of Scheduled Castes and Scheduled Tribes on the subject "study of atrocity cases against SC and ST with respect to implementation of the Prevention of Atrocities act, 1989 – with special reference to cases related to withholding of pensions and retirement benefits of SC/ST employees**

The undersigned is directed to refer to the above cited subject and to say that Lok Sabha Secretariat vide its OM No. 57/2/1/SCTC/2019 dated 17.12.2021 (**copy enclosed**) has forwarded the recommendations of the Parliamentary Committee on the Welfare of Scheduled Castes and Scheduled Tribes. The Committee has recommended for release of the pension of the employees belonging to ST category, whose pension has been withheld due to pendency of their caste verification. Since, the D/o Pension and Pensioners Welfare (DoP&PW) is the nodal Department in respect of pensionary matters, the copy of the recommendations is forwarded herewith to DoP&PW for necessary action. Reply on the other points pertaining to DoPT is being forwarded to the Lok Sabha Secretariat.

Encl.: As above.

(Abhay Kumar)
Under Secretary to the Government of India

To

The D/o Pension and Pensioners Welfare
[Kind Attention : Shri Sh. Sanjiv Narain Mathur, Joint Secretary (Pension]
R.No. 310, 3rd Floor, A Wing,
Lok Nayak Bhawan, New Delhi.

ANNEXURE - III

No. 41034/4/2020-Estt (Res-I)
Government of India
Ministry of Personnel, Public Grievance & Pensions
Department of Personnel and Training

North Block, New Delhi
Dated the 19th March, 2021

To

The Chief Secretaries of all States & Union Territories

Subject: Timely verification of Caste/Community Certificates – regarding.

Sir,

I am directed to say that instances have come to the notice where the pensionary benefits of employees belonging to ST category, who were working in various offices and organizations under Central Government in the State of Tamil Nadu, have been withheld on the ground that their caste verification is pending from the State Government. The Parliamentary Standing Committee on the Welfare of the Scheduled Castes & Scheduled Tribes (SC&ST) have taken a serious view of this, and has directed this Department to issue necessary guidelines to all the concerned for ensuring timely verification of the Caste Certificate of the employees belonging to the reserved category.

2. It is stated that the responsibility for the issue and verification of Caste Certificate lies with the concerned State/UT Government. The Hon'ble Supreme Court, vide its Order dated 2.9.1994 in the matter of in the matter of *Kumari Madhuri Patil vs Addl. Commissioner*, has laid down the detailed guidelines for effective verification of the Caste Certificates of the employees, so that no person, on the basis of fake caste certificate, may secure employment wrongfully in the Government.

3. DoP&T has issued various guidelines from time to time for streamlining the process of verification of Caste Certificate of the employees, and has requested the State/UT Governments for timely verification of the same. However, as mentioned above, instances have come to notice that the appointing authority has taken an unduly long time in getting the caste status of an employee verified through the concerned State authorities which is totally in contravention of the existing instructions. In this regard, attention is invited towards the following instructions of DoPT in the matter:

(i) DoPT OM No. 36019/7/1975-Estt (SCT) dated 31.10.1975 (copy at Annexure-I) provides that the candidates belonging to the SC/ST category have to produce a Certificate in the prescribed form issued by

....2/-

one of the prescribed authorities in support of their claim of belonging to a SC/ST. Where such a candidate is unable to produce a Certificate from any of the prescribed authorities, he may he appointed provisionally on the basis of whatever prima facie proof he is able to produce in support of his claim subject to his furnishing the prescribed Certificate within a reasonable time, and if there is genuine difficulty in his obtaining a Certificate, the appointing authority should itself verify his claims through the District Magistrate concerned.

(ii) DoPT OM No. 36011/16/80-Estt (SCT) dated 27.2.1981 (copy at Annexure-II) provides that the verification of caste status at every important upturn of employee's career is necessary, as an SC candidate may lose his status of SC if he embraces a religion other than Hinduism and Sikhism (DoPT OM No. 36011/3/2005-Estt (Res) dated 9.9.2005 provides that an SC candidate loses his SC status if he embraces a religion other than Hinduism, Sikhism or Buddhism).

(iii) DoPT, vide letter No. 36022/1/2007 - Estt (Res) dated 20.3.2007 (copy at Annexure-III), have requested the State/UT Governments to issue instructions to the District Magistrates/District Collectors/Deputy Commissioners of the districts to the effect that they should ensure at their own level that veracity of the Caste/Community certificate referred to the district authorities is verified and reported to the appointing authority within one month of receipt of request from such authority. The State/UT Governments were also requested to initiate disciplinary proceedings against the officers who default in timely verification of Caste Status.

(iv) DoPT, vide letter No. 41034/3/2012 - Estt (Res) dated 11.4.2012 (copy at Annexure-IV), have reiterated the above instructions dated 20.3.2007 requesting the State/UT Governments to issue instructions to the concerned district authorities to ensure veracity of the Caste/Community Certificate referred to them and report the same to the appointing authority within one month of receipt of request from such authority. This letter also conveys the directions of the Parliamentary Committee at that time on the Welfare of SCs and STs that the State/UT Governments may constitute a District-Level Committee in each District which may hold regular meetings to ensure timely verification of Caste Certificates.

(v) DoPT OM No. 36011/1/2012-Estt (SCT) dated 8.10.2015 (copy at Annexure-V) reiterates the earlier instructions on timely and effective verification of the Caste Certificate so that the benefit of reservation and other scheme of concessions etc. go only to the rightful claimants.

(vi) DoPT letter No. 36011/1/2012-Estt (SCT) dated 14.3.2016 (copy at Annexure-VI) addressed to all State/UT Government again reiterates the earlier instructions on verification of Caste Certificate within a reasonable time.

4. In view of the above, all State/UT Governments are again requested that the above-mentioned instructions may be brought to the notice of all

....3/-

the concerned officers, and it may be ensured that the process of caste verification is completed within a reasonable time, and the concerned appointing authorities are informed about the veracity of the Caste Certificate of the candidates/employees within one month of the receipt of such request from the concerned appointing authority.

5. This issues with the approval of Secretary (P).

Yours faithfully,

19/3/2021

(Sandeep Saxena)
Deputy Secretary

To

1. The Secretaries of all the Ministries/Departments of the Govt. of India for ensuring strict compliance of the existing instructions on timely verification of Caste/Community Certificate.
2. Department of Financial Services, New Delhi.
3. Department of Public Enterprises, New Delhi.
4. Railway Board, Ministry of Railways, Rail Bhawan, New Delhi.
5. The Secretary, National Commission For Scheduled Castes, 5th Floor, Lok Nayak Bhawan, Khan Market, New Delhi-110003.
6. The Secretary, National Commission for Scheduled Tribes, 6th Floor, B-Wing, Lok Nayak Bhawan, Khan Market, New Delhi-110003.
7. The Secretary, National Commission for Backward Classes, Trikoot - 1, Bhikaji Cama Place New Delhi - 110 066.
8. Office of Comptroller and Auditor General of India, 10, Bahadurshah Zafar Marg, New Delhi.
9. NIC, DoPT with the request to upload the same on the website of the Department.

Department of Personnel & Administrative Reforms O.M. No. 36019/7/75-Estt. (SCT) dated 31st October, 1975 to all Ministries etc.

Subject :—Verification of claims of candidates belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes for purpose of appointment to posts/services.

The undersigned is directed to say that candidates belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes have to produce a certificate in the prescribed form issued by one of the prescribed authorities in support of their claim of belonging to a Scheduled Caste/Scheduled Tribe vide Appendix 14 and 15 of the Brochure on Reservation for Scheduled Castes and Scheduled Tribes in services, 4th edition. In this connection attention of the Ministry of Finance etc. is also invited to the content of the Ministry of Home Affairs Office Memorandum No. 13/2/57-SCT(I), dated the 25th May, 1960 and No. 13/2/61-SCT(I), dated the 18th November, 1961 which provide that where a candidate belonging to a Scheduled Caste and Scheduled Tribe is unable to produce a certificate from any of the prescribed authorities, he may be appointed provisionally on the basis of whatever prima facie proof he is able to produce in support of his claim subject to his furnishing the prescribed certificate within a reasonable time, and if there is genuine difficulty in his obtaining a certificate, the appointing authority should itself verify his claims through the District Magistrate concerned. The instructions contained in the aforementioned Office Memorandum are again brought to the notice of the Ministries, Department etc.

Department of Personnel & A.R. No. 36011/16/80-Estt. (SCT) dated 27-2-81

Subject :—Descheduling of caste of Scheduled Caste person after his initial appointment—Question of verification of caste at the time of making subsequent promotions.

With reference to the above subject, the undersigned is directed to say that instances have come to the notice of the Government where a Scheduled Caste person whose caste has been de-scheduled long ago was promoted against a reserved vacancy though he no longer was a member of the Scheduled Caste. Instances have also come to the notice of the Government where a person professing a religion other than the Hindus and Sikhs, was appointed against a Scheduled Castes vacancy though the fact of his belonging to any other religion other than the Hindus and Sikhs did not entitle him to claim the benefits of being Scheduled Castes. Obviously, these have occurred due to the appointing authorities not scrutinising the caste certificate of the person to be appointed or promoted.

It has now been decided that the appointing authorities should verify the caste status of a Scheduled Castes/Tribes officer at the time of initial appointment and promotion against a vacancy reserved for Scheduled Caste/Tribe. For this purpose, the caste and the community to which a SC/ST person belongs, his place of residence and the name of the State, should be pasted on the top of the service book, personal file or any other relevant document covering its employee to facilitate such verification. It may be mentioned that a Scheduled Caste person, whose caste been descheduled after his initial appointment as Scheduled Caste, is no longer entitled to enjoy the benefit of reservation in promotions. This verification of caste status at every important upturn of employee's career is necessary so that the benefit of reservation and other scheme of concessions etc. meant for SC/ST should go only to the rightful claimants and not those who become dis-entitled to them.

3. M/O. Finance etc. are requested to bring the above position to the notice of all attached and subordinate offices under them.

No.36022/1/2007-Estt.(Res)
Government of India
Ministry of Personnel, Public Grievances & Pensions
Department of Personnel & Training

New Delhi, dated: the 26th March, 2007

To

The Chief Secretaries of all
States/Union Territories

Subject: Verification of claims of candidates to belong to Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes.

Sir,

It has been brought to the notice of this Department that some candidates manage to secure employment under the Government against the vacancies reserved for SCs/STs/OBCs on the basis of false/forged caste/ community certificates. It is a serious matter which can only be tackled with the cooperation of the State Governments.

2. Instructions issued by this Department require the appointing authorities to verify the caste status of SC/ST/OBC candidates at the time of initial appointment. Accordingly, the concerned appointing authorities, at the time of initial appointment of SC/ST/OBC candidates against vacancies reserved for them, make a request to the concerned district authorities to certify the veracity of caste/community certificate produced by the candidate. Many a time, the district authorities take unduly long time to respond. Where verification is not completed in time, the candidates are given appointment on provisional basis pending verification of their caste status. Some candidates continue to hold the post on the basis of false/forged certificates in the absence of proper response from district authorities. Chances of collusion of the candidate with some unscrupulous employee(s) at the district level cannot also be ruled out.

3. I am directed to request you to streamline the system so that the unscrupulous non-SC/ST/OBC persons are prevented from securing jobs meant for SCs/STs/OBCs by producing false certificates. It would be appreciated if you could issue instructions to the District Magistrates/District Collectors/Deputy Commissioners of the districts to the effect that they should ensure at their own level that veracity of the caste/community certificate referred to the district authorities, as stated above, is verified and reported to the appointing authority within one month of receipt of request from such authority. In order to rule out collusion between candidates holding false/forged certificate and employees at the district level or sub-district level, disciplinary proceedings may be initiated against officers who default in timely verification of caste status in such cases or issue false certificates.

Yours faithfully

(R. Ramanujam)
Joint Secretary

-40-

No.41034/3/2012-Estt.(Res.)
Government of India
Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions
Department of Personnel and Training

North Block, New Delhi-110001
Dated the 11th April, 2013

To

The Chief Secretaries of all the States/
Union Territories.

Subject: - Verification of caste certificates by District authorities.

Sir,

Attention is drawn to Department of Personnel and Training's letter No.36022/1/2007-Estt. (Res.) dated 20th March, 2007 whereby the Chief Secretaries of all States/ Union Territories were requested to streamline the system of verification of caste certificates so that unscrupulous non-SC/ST/OBC persons are prevented from securing jobs meant for SCs/STs/OBCs by producing false certificate. They were also advised to issue instructions in this regard to the concerned District Magistrates/ District Collectors/ Deputy Commissioners of the districts to ensure at their own level that veracity of the caste/ community certificate referred to the district authorities is verified and reported to the appointing authority within one month of receipt of request from such authority. They were further requested that disciplinary proceedings may be initiated against officers who default in timely verification of caste status in such cases or issue false certificates to rule out collusion between candidates holding false/ forged certificate and employees at the district level or sub-district level.

2. Recently the Parliamentary Committee on the Welfare of Scheduled Castes and Scheduled Tribes on the Ministry of Railway in its 28th Report (14th Lok Sabha) on the subject of false caste certificates had, inter-alia, observed as under:-

-41-

"The Ministry of Railways to take up the matter of pending false caste certificate cases lying with District Collectors with the Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions who are the cadre controlling Ministry over the Collectors and to ensure that all the State Governments constitute appropriate District Level Committee (DLC) in every district urgently and to instruct them to hold regular meetings so that cases of investigation of false caste certificates are not held up for want of proper DLC or non holding of meetings by such Committee."

3. Keeping in view of the direction given by the Parliamentary Committee on the Welfare of Scheduled Castes and Scheduled Tribes on the Ministry of Railways it is requested that instructions may be issued to the concerned District Magistrates/ District Collectors/ Deputy Commissioners of the districts etc. to verify the details of the candidate (s) before issuing the caste certificates so that the benefits of reservation and other schemes of concessions, etc. meant for SCs/STs/OBCs go only to the rightful claimants. As desired by the Parliamentary Committee a District Level Committee may also be constituted in each District. The Committee be instructed to hold regular meetings to ensure timely verification of caste certificates.

Yours faithfully,

(Sharad Kumar Srivastava)
Under Secretary to the Government of India
Tele. No. 23092110

Copy to:-

1. All Ministries/Departments of Government of India.
2. Department of Financial Services, Jeevan Deep Building, Parliament Street, New Delhi-110001.
3. Department of Economic Affairs, Ministry of Finance, New Delhi.

No.36011/1/2012-Estt.(Res.)
Government of India
Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions
Department of Personnel and Training
Establishment Reservation – I Section

North Block, New Delhi-110 001
Dated the 8th October, 2015.

OFFICE MEMORANDUM

Subject: Reiteration of the instructions on verification of claims of candidates belonging to Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes for purpose of appointment to posts/services.

The undersigned is directed to say that as per extant instructions where a candidate belonging to a Scheduled Caste (SC), Scheduled Tribe (ST) and Other Backward Classes (OBC) is unable to produce a certificate from any of the prescribed authorities, he/she may be appointed provisionally on the basis of whatever prima-facie proof he/she is able to produce in support of his/her claim subject to his/her furnishing the prescribed certificate within a reasonable time. Instructions have been issued vide DoPT's letter No.36022/1/2007-Estt.(Res.) dated 20.3.2007 to the Chief Secretaries of all States/UTs for streamlining the system of verification of caste certificates so that unscrupulous non-SC/ST/OBC persons are prevented from securing jobs meant for SCs/STs/OBCs by producing false certificates. Timely and effective verification of caste status is necessary so that the benefit of reservation and other scheme of concessions etc. go only to the rightful claimants.

2. In this regard, attention is invited to the instructions contained in the following Office Memoranda/Orders issued by this Department from time to time. A copy each of the Office Memoranda is enclosed:-

(i) OM No. 36019/7/75-Estt. (SCT) dated 31.10.1975
(ii) OM No. 36011/16/80 – Estt. (SCT) dated 27.02.1981
(iii) OM No. 36011/3/2005-Estt. (Res.) dated 09.09.2005
(iv) OM No. 36012/6/88-Estt.(SCT) dated 24.4.1990

3. Instances have been brought to the notice of this Department that despite the aforesaid instructions, the appointments of the candidates belonging to SC/ST/OBC communities are with-held/delayed due to pending caste certificates verification.

contd/-

4. It is, therefore, reiterated that in the situation where a candidate belonging to a Scheduled Caste, Scheduled Tribe and Other Backward Classes is unable to produce a certificate from any of the prescribed authorities, he/she may be appointed provisionally on the basis of whatever prima-facie proof he/she is able to produce in support of his/her claim subject to his/her furnishing the prescribed certificate within a reasonable time and if there is genuine difficulty in his/her obtaining a certificate, the appointing authority should itself verify his/her claim through the District Magistrate concerned.

5. All Ministries/ Departments are requested to bring the contents of this O.M. to the notice of all concerned.

G. Srinivasan

(G. Srinivasan)
Deputy Secretary to the Government of India

To:

1. The Secretaries of all Ministries/Departments of the Government of India.
2. Department of Financial Services, New Delhi
3. Department of Public Enterprises, New Delhi
4. Railway Board, Ministry of Railways, Rail Bhavan, New Delhi
5. Union Public Service Commission/ Supreme Court of India/Election Commission of India/ Lok Sabha Secretariat/ Rajya Sabha Secretariat/ Cabinet Secretariat/ Central Vigilance Commission/ President's Secretariat/ Prime Minister's Office/ Planning Commission
6. Staff Selection Commission, CGO Complex. Lodhi Road, New Delhi
7. Ministry of Social Justice and Empowerment, Shastri Bhawan, New Delhi
8. National Commission for SCs/National Commission for STs, Lok Nayak Bhawan, New Delhi
9. National Commission for Backward Classes, Trikoot-1, Bhikaji Cama Place, R.K. Puram, New Delhi
10. Office of the Comptroller and Auditor General of India, 10 Bahadur Shah Jafar Marg, New Delhi – 110 002
11. Information and Facilitation Center, DoPT, North Block, New Delhi.
12. Director, ISTM, Old JNU Campus, Olof Palme Marg, New Delhi 110067
13. NIC, DoPT – to upload the same on DoPT Website.

ANNEXURE - VI

No. 36011/1/2012-Estt.(Res.)
Government of India
Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions
Department of Personnel and Training
Establishment Reservation – I Section
*****

North Block, New Delhi-110 001
Dated March 14, 2016

To,

The Chief Secretaries of all States/UTs

Subject: Reiteration of the instructions on streamlining the procedure for verification of claims of candidates belonging to Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes for purpose of appointment to posts/services – regarding

Madam/Sir,

I am directed to refer to this Department's letter no. 36022/1/2007–Estt. (Res.) dated 20.03.2007 addressed to Chief Secretaries of all States/UTs (copy enclosed) regarding streamlining of the process for verification of claims of candidates belonging to Scheduled Castes (SCs), Scheduled Tribes (STs) and Other Backward Classes (OBCs). It was also requested to issue instructions to District Magistrates/District Collectors/ Deputy Commissioners to ensure at their own level the veracity of caste certificates so that unscrupulous non-SC/ST/OBC persons are prevented from securing jobs meant for SCs/STs/OBCs by producing false certificates.

2. Owing to difficulties faced by candidates belonging to these reserved communities in various states in securing employment due to delays in obtaining caste certificates, this Department, vide an Office Memorandum of even number dated 08.10.2015, has re-iterated the instructions on providing provisional appointment to such reserved category candidates who are unable to obtain an appropriate caste certificate in time. It has been reiterated therein that where a candidate belonging to a Scheduled Caste, Scheduled Tribe or Other Backward Class is unable to produce a certificate from any of the prescribed authorities, he/she may be appointed provisionally on the basis of whatever prima-facie proof he/she is able to produce in support of his/her claim, subject to his/her furnishing the prescribed certificate within a reasonable time. If there is genuine difficulty in his/her obtaining a certificate, the appointing authority should itself verify his/her claim through the District Magistrate concerned. A copy of the OM is enclosed for reference and perusal.

3. In order to ensure that the candidates belonging to reserved categories do not face unnecessary problems in obtaining caste certificates, it is requested that instructions issued to the concerned authorities in the light of the aforementioned letter dated 20.03.2007 may be reiterated for information/compliance of all concerned.

4. It is also advised that in order to discourage unscrupulous activities, State Governments/UTs may consider issue of appropriate instructions for initiating disciplinary proceedings against the errant officers who default in timely verification of caste certificates or who issue false certificates.

Encl: as above

Yours faithfully,

G. Srinivasan

(G, Srinivasan)
Deputy Secretary to the Government of India

Copy to:

Dir, NIC, DOPT - for placing it on the website of this Department for information of all concerned.

ANNEXURE - III

F.No. 41034/1/2022-Estt (Res)
Government of India
Ministry of Personnel, Public Grievances & Pensions
Department of Personnel and Training

....

New Delhi, dated the June 3, 2022

OFFICE MEMORANDUM

Subject: **Action Taken Note (ATN) on the recommendations of the Parliamentary Committee on the Welfare of Scheduled Castes and Scheduled Tribes on the subject "study of atrocity cases against SC and ST with respect to implementation of the Prevention of Atrocities act, 1989 – with special reference to cases related to withholding of pensions and retirement benefits of SC/ST employees**

The undersigned is directed to say that Lok Sabha Secretariat vide its OM No. 57/2/1/SCTC/2019 dated 17.12.2021 (**copy enclosed**) has forwarded the recommendations of the Parliamentary Committee on the Welfare of Scheduled Castes and Scheduled Tribes. The Committee has recommended for release of the pension of the employees belonging to ST category, whose pension has been withheld due to pendency of their caste verification. Point No. 3 (vii) of the recommendations contains directions for Ministry of Social Justice and Empowerment for framing of a suitable legislation for streamlining of the process of verification of caste certificate in consultation with DoPT, Ministry of Law and Justice (Legislative Department) and State Government. Accordingly, a copy of the recommendations is forwarded herewith to MSJE for necessary action. Reply on the other points pertaining to DoPT is being forwarded to the Lok Sabha Secretariat.

Encl.: As above.

(Abhay Kumar)
Under Secretary to the Government of India

To

The D/o Social Justice and Empowerment
[Kind Attention :Ms. Kalyani Chadha, JS (Scheduled Castes Division-B)]
R.No. 613, 6th Floor, A Wing,
Shastri Bhawan, New Delhi.